

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1246

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2015/ज्येष्ठ 26, 1937

No. 12461

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2015/JYAISTHA 26, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून,2015

का.आ. 1601 (अ).— और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यथाअपेक्षित एक प्रारूप अधिसूचना पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की संख्यांक का. आ. 2730 (अ) दिनांक 21 अक्तूबर, 2014 की अधिसूचना द्वारा उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित की गई थी जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और उसके द्वारा उस तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे जिस तारीख को उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी;

और उक्त अधिसूचना वाले उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 21 अक्तूबर, 2014 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थी ; और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित प्ररुप अधिसूचना के संबंध में सभी व्यक्तियों और प्राधिकारियों से प्राप्त किए गए सुझाव और

आक्षेप पर विचार किया गया है;

और मैनग्रोभ वन खंड (वन्यजीव), राजनगर में तीन संरक्षित क्षेत्र हैं अर्थात् भीतारकिनका वन्यजीव अभयारण्य, जिसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 29 के अधीन वर्ष 1975 में अधिसूचित किया गया है, भीतारकिनका राष्ट्रीय पार्क, जिसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन वर्ष 1998 में अधिसूचित किया गया है और गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन वर्ष 1997 में अधिसूचित किया गया है;

और भीतारकिनका राष्ट्रीय पार्क की सीमा भीतारकिनका वन्यजीव अभयारण्य के अन्दर है और गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव भीतारकिनका वन्यजीव अभयारण्य की पूर्वी सीमा के निकटस्थ है और ये संरक्षित क्षेत्र सिन्निहित भूमि और जल निकाय से गठित है

जिनकी पारिस्थितिक संवेदी जो के रूप में पहचान की है ;

और जहाँ, संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता में धनी है और अत्याधिक उपजाऊ परितंत्र है जिसमें इश्चूरीयन और मैदीन परितंत्र के साथ—साथ अकशेरूकी कि 61 प्रजातियाँ जैसे प्रोटोजोआ—2 प्रजाति, कोइलिनट्ररेट्स—3 प्रजाति, मोलूस्का—7 प्रजाति, एनिलेंड्स 34 प्रजाति, अथौपोंड्स—15 प्रजाति, और वरटिब्रेट्स जैसे मछलियाँ—20 प्रजाति, एम्फिबियन—5 प्रजाति और रेपटाइल—42 प्रजाति, 280 से अधिक पक्षियों कि प्रजाति, केटाकियन्स सहित मैमलस कि 28 प्रजातियाँ;

और जहाँ, मैग्ग्रेन कि जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सर्वोधिक विविधताओं में से एक है जिसमे मैग्ग्रेव तथा उनसे

संबंधित 71 प्रजातियों को टेक्सोनोमिकियल चिंहित किया गया है ।

2646 GI/2015

और भीतारकनिका क्षेत्र रेपटिलियन विविधता के लिए जाना जाता है तथा जहाँ इश्चूरियन घड़ियाल का अधिकतम प्राकृतिक जनसंख्या पायी जाती है । एशिया का सबसे बड़ा हरोनरीं इस क्षेत्र में पाया जाता है जोकि मानसून के समय कि एक वार्षिक गतिविधि है । प्रवासी, पचास हजार से अधिक कि संख्या में, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उद्यान में आते है ।

और ओड़िसा राज्य में भीतारकिनका दूसरा रामसार स्थल है जो अर्न्तराष्ट्रीय वेटलैण्ड के रूप में विख्यात है और गाहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य ओलिव रिडले समुद्री कछुए के सामुहिक घोसलें के लिए, दुनियाभर में जाना जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में दर्ज वनस्पतियों और जीव की कई लुप्तप्राय प्रजातियां हैं और अर्न्तराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ (आईयूसीएन) की रेड डाटा पुस्तक इन संरक्षित क्षेत्रों में उपलब्ध है।

और, भीतारकिनका वन्यजीव अभयारण्य और गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अगयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो का प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ओड़िसा राज्य में पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में भीतारकनिका वन्यजीव अभयारण्य, भीतारकनिका राष्ट्रीय पार्क और गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अधिस्चित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

- 1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार ओर उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन उड़ीसा राज्य के जिला केन्द्रापारा में अवस्थित भीतारकिनका वन्यजीव अभयारण्य भीतारकिनका राष्ट्रीय पार्क और गाहिरमाधा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 560 मीटर से दो किलोमीटर की चौड़ाई तक है और पारिस्थितिक संवेदी जोन का भौगोलिक क्षेत्र 446.40 किलोमीटर है।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन पूर्व की ओर $20^{\circ}43'15.5''30$ अक्षांश और $87^{\circ}18'32.9''पू0$ देशांतर; पश्चिम और दक्षिण की ओर $20^{\circ}29'13.8''30$ अक्षांक्ष और $86^{\circ}39'58.1''पू0$ देशांतर; उत्तर की ओर $20^{\circ}48'21.6''30$ अक्षांक्ष और $86^{\circ}56'37.1''पू0$ देशांतर और दिक्षण की ओर $20^{\circ}16'35.6''30$ अक्षांक्ष और $86^{\circ}56'23.7''पू0$ देशांतर से घिरा हुआ है।
 - (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के मानचित्र के साथ इसके अक्षांक्ष और देशांतर उपाबंध I के रूप में उपाबद्ध है।
- (4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची के साथ प्रमुख बिन्दु पर उनके देशांतर और अक्षांश उपाबंध II के रूप में उपाबद्ध है।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावशाली प्रबंधन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- (2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।
- (4) आंचलिक महायोजना, निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--
 - (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन ;
 - (iii) नगर विकास ;
 - (iv) पर्यटन;
 - (v) नगरपालिका;
 - (vi) राजस्व;
 - (vii) कृषि ;
 - (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण:
 - (ix) लोक निर्माण विभाग; और
 - (x) ओड़िसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए होंगे।

- (5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकुलता का संवर्धन करेगी।
- (6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

- (7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में त्रिकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी।
- 3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपवंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उगाय करेगी, अर्थात् :--
- (1) भू-उपयोग पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 20, 27, 29 और सं. 34 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान ;
- (iii) वर्षा जल संचय; और
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर, स्टोर की सुविधा और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं:

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अन्त्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

- (2) प्राकृतिक जल स्नोत -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्नोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं।
- (3) पर्यटन (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, ओडिसा सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, ओडिसा सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।
- (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;
 - (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटल और सैरगाहों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे ।
 - (ii) विधि के अनुसार पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास-सुविधा के सिवाए नए होटल और रिसोर्टों का संनिर्माण भीतारकनिका वन्यजीव अभयारण्य, भीतारकनिका राष्ट्रीय पार्क और गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होंगे:

परन्तु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी के परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्टों का स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए ही अनुज्ञात होंगे।

- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियासक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।
- (4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थलों पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) ध्विन प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (8) बहिस्राव का निस्सारण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ख) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;
- (ग) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (घ) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।
- (10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) यानीय परिवहन परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण द्वारा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों और इसके अध्यधीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- 4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

क्रम सं.

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(12)

2646 Col 15-

क्रियाकलाप

2

उनको तोड़ने की इकाइयां।

आरा मशीनों की स्थापना।

प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।

भू-जल संचयन भी है।

किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या

पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म

वायु गुबारों आदि द्वारा अभ्यारण क्षेत्र के

भारत का राजपत्र : असाधारण सारणी टीका-टिप्पणी 3 क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप : (क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग। लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)। नए बृहत जल विद्युत परियोजना की

लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)

लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)

लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)

ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना । लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में (9)अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अप-शिष्टों का निस्सारण। ख. विनियमित क्रियाकलाप (क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, वृक्षों की कटाई। (10)सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक (11)क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास-स्थापन। सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात होंगे। पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर परे और उसकी सीमा तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग निर्देशों के अनुरूप होंगे। (क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत

करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। (13) विद्युत केवलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण। (14) होटलों, लॉज और रिसोटों के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना। (15) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण। (16) रात्रि में यानिक यातायात का संचलन। (17) विदेशी प्रजातियों को लाना (18) पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण। (19) वाणिज्यिक साइनवोर्ड और होर्डिंग। (19) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग। (10) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग। (11) पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और			
का निष्णर्यंग के लिए संबंधित विनियासक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी विसके अंतर्यत कितने परिणाम में यह निष्कर्यण करेगा, भी है। (प) सतहीय प्रभूज्ञ का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (प) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्यत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। (स) होटलों, लांज और रिमोटों के विद्यमान परिमाण प्रदूषण, जिसके अंतर्यत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। (स) होटलों, लांज और रिमोटों के विद्यमान परिमर्गोण प्रदूषण समाधात निर्धारण अंत न्यूनिकरण उपाय यथा लागू विद्यमान सहकों को नी जा करना, उन्हें जिन पर्यावस्थ समाधात निर्धारण अंत न्यूनिकरण उपाय यथा लागू विद्यमां के अधीन विनियमित होंगे। (स) विशेषी प्रजातियों को लांजा लांचू विद्यमान होंगी लांचू विद्यमान होंगी लांचू विद्यमान होंगी लांचू विद्यमान सहकों और होजिंग। (श) यहाणित्यक साइनजों और होजिंग। लांचू लिखियों के अधीन विनियमित होंगे। (श) यद्याण उत्पन्न न करने वाले लघु उथीय। (श) यद्याण उत्पन्न न करने वाले लघु उथीय। (श) यहाणित्यक साइनजों और होजिंग। (श) पर्वाच उत्पन्न न करने वाले लघु उथीय। (श) कर अध्यासित उथीन। (श) कर उत्पादों को उत्पादन होजिं। (श) कर उत्पादों को उत्पादन उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से अंखोंगिक उत्पादों को उत्पादन उद्यान और जो पर्यावस्थ पर कोई विपर्यति प्रभाव नहीं उल्लेच हों, अनुजात निए जाएंगे। (श) कर उत्पादों को उत्पादन उद्यान के स्वाच काएगा: परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन सी सीमाओं के भीतर नए काष्ट आधारित उद्योग का स्वाच होंगा। (श) कर किलीमिट संवच जोन से न ए काष्ट अधारित उद्योग का स्वच क			का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा ।
का निष्णर्यंग के लिए संबंधित विनियासक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी विसके अंतर्यत कितने परिणाम में यह निष्कर्यण करेगा, भी है। (प) सतहीय प्रभूज्ञ का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (प) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्यत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। (स) होटलों, लांज और रिमोटों के विद्यमान परिमाण प्रदूषण, जिसके अंतर्यत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। (स) होटलों, लांज और रिमोटों के विद्यमान परिमर्गोण प्रदूषण समाधात निर्धारण अंत न्यूनिकरण उपाय यथा लागू विद्यमान सहकों को नी जा करना, उन्हें जिन पर्यावस्थ समाधात निर्धारण अंत न्यूनिकरण उपाय यथा लागू विद्यमां के अधीन विनियमित होंगे। (स) विशेषी प्रजातियों को लांजा लांचू विद्यमान होंगी लांचू विद्यमान होंगी लांचू विद्यमान होंगी लांचू विद्यमान सहकों और होजिंग। (श) यहाणित्यक साइनजों और होजिंग। लांचू लिखियों के अधीन विनियमित होंगे। (श) यद्याण उत्पन्न न करने वाले लघु उथीय। (श) यद्याण उत्पन्न न करने वाले लघु उथीय। (श) यहाणित्यक साइनजों और होजिंग। (श) पर्वाच उत्पन्न न करने वाले लघु उथीय। (श) कर अध्यासित उथीन। (श) कर उत्पादों को उत्पादन होजिं। (श) कर उत्पादों को उत्पादन उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से अंखोंगिक उत्पादों को उत्पादन उद्यान और जो पर्यावस्थ पर कोई विपर्यति प्रभाव नहीं उल्लेच हों, अनुजात निए जाएंगे। (श) कर उत्पादों को उत्पादन उद्यान के स्वाच काएगा: परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन सी सीमाओं के भीतर नए काष्ट आधारित उद्योग का स्वाच होंगा। (श) कर किलीमिट संवच जोन से न ए काष्ट अधारित उद्योग का स्वच क			(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल
अनुज्ञा अपेक्षित होगी किसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (१) सतहीं या पूजल का विकल अनुजात नहीं होगा। (१) विखुत केवलों और दूरसंचार टावरों का परितिमाण। (१) विखुत केवलों और दूरसंचार टावरों का परितिमाण। (१) होटलों, लोज और रिसीटों के विख्यान परिसरों में बाद लगाना। (१) विख्यान सहसों को चौड़ा करना, उन्हें मुद्दुक करना और नर्द महर्कों का सीमाणा। (१) विख्यान सहसों को चौड़ा करना, उन्हें मुद्दुक करना और नर्द महर्कों का सीमाणा। (१) विदेशी प्रवासियों को लाना लागू विधियों के अधीन विनियमित होंग। (१) वाणिज्ञिक साइनवोर्ड और होर्डिंग। लागू विधियों के अधीन विनियमित होंग। (१) वाणिज्ञिक साइनवोर्ड और होर्डिंग। लागू विधियों के अधीन विनियमित होंग। (१) वाणिज्ञिक साइनवोर्ड और होर्डिंग। लागू विधियों के अधीन विनियमित होंग। (१) वाणिज्ञिक साइनवोर्ड और होर्डिंग। लागू विधियों के अधीन विनियमित होंग। (१) परिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ट आधारित उद्योग भारत को अधीन हिम्मान होंग। (१) परिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ट आधारित उद्योग का उत्यादन उद्योग और वैद करीन वाणिज्ञिक सांवाणा परत् कार्य वाणिज्ञिक सांवाणा परत् कार्य वाणिज्ञिक सांवाणा परत् कार्य वाणिज्ञिक संविन्य कार्य वाण्य विधान के अधीन विनियमित होंग। (१) वन उत्पादों और वैद कारठ वन उत्पादों का स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त कार्य वाणिज्ञिक संविन्य कार्य वाणिज्ञिक संविन्य कार्य वाणिज्ञिक संविन्य कार्य वाण्य वाण्य कार्य कार्य कार कार्य कार कार्य कार्य कार्य कार कार्य कार्य कार्य कार्य कार कार्य कार कार कार्य कार			
(य) सतही या भूजल का विक्रय अनुजात नहीं होगा। (य) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। (13) विद्युत केवलों और दूरसंचार टावरों का परितिमाण। (14) होंटलों, लॉज और रिसोटों के विद्यमान परिसरों में वाड लगाना। (15) विद्यमान सहकों को चींडा कराना, उन्हें सुड्ड कराना और नई सड़कों को चींडा कराना, उन्हें सुड्ड कराना और नई सड़कों को चींडा कराना, उन्हें सुड्ड कराना और नई सड़कों को चींडा कराना, उन्हें सुड्ड कराना और नई सड़कों को चींडा कराना, उन्हें सुड्ड कराना और नई सड़कों को सीनीणा। (16) पति में यानिक आवायात का मंचलन। लागू विधियों के अधीन विगियमित होंगे। (17) विदेशी प्रजावियों को लागा लागू विधियों के अधीन विगियमित होंगे। (18) पहाड़ी डालों और नई तटों का संरक्षण। लागू विधियों के अधीन विगियमित होंगे। (19) वाणिजिक साइनवोर्ड और होर्डिंग। लागू विधियों के अधीन विगियमित होंगे। (20) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग। पारिश्वितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान होंगे। (21) नए काच्ठ आधारित उद्योग। (22) नए काच्ठ आधारित उद्योग। (22) नम काच्या काच			अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण
(थ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। (13) विद्युत केवलों और दूरसंचार टायरों का भूमिगत केवलों को पोत्साहन देना। (14) होटलों, लॉज और रिसोटों के विद्यमान पारिसरों में बाड लगाना। (15) विद्यमान सड़कों को जीड़ा करना, जरें जुन्दित पर्यादरण समाधात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू हिशियों के अधीन विनियमित होंगे। (16) राजि में यानिक यातायात का संकलन। (17) विदेशी प्रवातियों को लाना लागू विश्चियों के अधीन विनियमित होंगे। (18) पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण। लागू विश्चियों के अधीन विनियमित होंगे। (19) वाणिव्यक साइनडोर्ड और होर्डिंग। लागू विश्चियों के अधीन विनियमित होंगे। (20) प्रदूरण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग। (21) नए काष्ठ आधारित उद्योग। (22) नए काष्ठ आधारित उद्योग। (23) सैनिमीण क्रियाक्त संवेदी जोन से में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परेत्र प्रारिस्थितिक संवेदी जोन से में मए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए आएंगे विसमें 100 प्रतिशक आधारित काष्ठ का उपयोग होगा। परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को अवानिय उपयोग के लिए उनकी भूमि में सीनार्था क्रिये को करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा। परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को अवानिय उपयोग के लिए उनकी भूमि में सीनार्था क्रियुक्तात किए आएंगे और लागू नियमों और विनियमित होगे। (23) सेनिमीण क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को अवानिय उपयोग के लिए उनकी भूमि में सीनार्था क्रियुक्तात किया जाएगा। परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को अवश्चात किया जाएगा। परन्तु अर थह भी कि प्रदूषण को कस किया जाएगा। (24) एक किलोमीटर से परे परिस्थिति किए आएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुवार सक्तम प्राप्रिक्त को सुआ करन के लिए अनुक्ता किया जाएगा। (25) परिस्थितिक संवेदी जोन में सीनार्था क्रियाकलाप को अनुवार का क्रिया जाएगा। (26) एक किलोमीटर से परे परिस्थिति के अवश्वकताओं के लिए सीनार्थ को अनुवार किया जाएगा। (27) परन्तु क्राल किया का परना से प्रदूष स्था को का स्था वाएगा। (28) परन्तु कियान केवला करना केवला का स्था परन्तु केवला को अनुवार विभाग का स्थाप को अनुवार किया जाएगा। (27) परन्तु क्यानीय विवादियों केवला सीनीर्या कियान्याललाप को अनुवार विवादियों को का वाचना केवला सार्य से स			करेगा, भी है।
(13) विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना। (14) होटलों, लॉज और रिसोटों के विद्यमान पारितरों में बाड लगाना। (15) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण। (16) रात्रि में यानिक यावारत का संचलन । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (17) विदेशी प्रजातियों को लाना। (18) पहाड़ी डालों और नदी तटों का संरक्षण। लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (19) वाणिज्यक साइनबोर्ड और होर्डिंग। लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (20) प्रदृषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग। (21) नए काण्ठ आधारित उद्योग। (22) यन उत्पादों और रैर कास्ठ वन उत्पादों का संत्रिण परिसंजिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काण्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएगे। (22) वन उत्पादों और रैर कास्ठ वन उत्पादों का संत्रिण परिसंजिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काण्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएगे। (22) सैनिर्माण क्रियाकलाप। (23) सैनिर्माण क्रियाकलाप। (23) सैनिर्माण क्रियाकलाप। (43) सिन्माण क्रियाकलाप। (54) किए क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुजात किया जाएग। परन्तु आर यह भी कि प्रदृष्ण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संविधित क्षेत्र के लिए अनुजात किया जाएग। परन्तु आर यह भी कि प्रदृष्ण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संविधित क्षेत्र कार के अनुजात किया जाएग। परन्तु आर यह भी कि प्रदृष्ण कारित करने वाले लघु उद्योगों से संविधित से लिया जाएगा। परन्तु आर यह भी कि प्रदृष्ण कार्य का कार्योग का अनुजात किया जाएग। (७) एक किलोमीटर से परे परिस्थित का संविधित का आपारी व अवश्वकलाण को जोनल सास्टर प्रति न करने वाले लघु उद्योगों से संविधित से लिया जाएग। विश्वमित किए जाएंगे। परन्तु आत स्थापित किया लाएगे। विश्वमित के अनुजात किया जाएग। (७) एक किलोमीटर से परे परिस्थित का के लिए अनुजात कारण व कारण को जोनल सास्टर प्राप्त के अनुवार विश्वमित कि जाएगा। (७) एक किलोमीटर से परे परिस्थित का संविधित का जाएग। (७) परिस्थित का संवेदी जोन में संनिर्मिण क्रियाकलाण को जोनल सास्टर प्राप्त के अनुवार विश्वमित कि जाएगा। (७) परिस्थित का संवेदी जोन में संनिर्मिण क्रियाकलाण को जोनल सास्टर प्राप्त के अनुवार विश्वमित कि वालाण का सास्टर को जोनल सास्टर प्राप्त के अनुवार विश्वमित कि का जोनल सास्टर विश्वमित कि जोनल सास्टर विश्वमित कि का जो			(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा।
(13) विद्युत केवलों और दूरसंचार टावरों का प्रिनिमणि । (14) होटलों, लॉज और रिसोर्टों के विद्यमान परिनिर्मणि । (15) विद्यमान सड़कों को चीड़ा करना, उन्हें सुदृह करना और नई सड़कों का संनिर्मणि । (16) रात्रि में सात्रिक यातायात का संचलन । (17) विदेशी प्रजातियों को लाना (त्रा) विद्यों के अधीन विनियमित होंगे । (18) पहाडी हालों और नदी तर्टों का संरक्षण । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (19) वाणिज्यक साइनवोर्ड और होर्डिंग । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (19) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (20) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (21) मए काण्ड आधारित उद्योग । पारिस्थितिक संवेदी जोन से भैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रमान नहीं अनुवात नहीं किया जाएगा । (22) वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का तंप्रहुण (एत.टी.पी.एफ) । (23) संनिर्मण क्रियाकलाप । (24) संनिर्मण क्रियाकलाप । (25) संनिर्मण क्रियाकलाप । (26) संनिर्मण क्रियाकलाप । (क्रि. किसी क्रिय का को किस आवाणिज्यक संनिर्मण क्रांविद्य क्रिया की अतुवात नहीं होगा । परल् स्थानीय जिसके अन्तरात नहीं होगा । परल् और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संविधित संनिर्मण क्रियाकलाप विनियमित हिए जाएंगो और लागू नियमों और विनिद्यमें, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षाप । परल् और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संविधित संनिर्मण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगा । परल् अंत्र यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संविधित संनिर्मण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगा । परलु अंत्र यह भी कि प्रदूषण कारिय के सिन्माण क्रियाकलाप को लोन कर सिन्माण क्रियाकलाप को लान कर सिन्माण क्रियाकलाप को लोन कर स्वाविध्यों की आवश्यकलाप को लोन का लाएगा । (अ) एक किलोमीटर से पर पारिस्थितिक संवेदी जोन से सिन्माण क्रियालाप को लोन को लान सास्टर प्लान के अनुसार विविध्यों की आवश्यकलाप को लोन सास्टर प्लान के अनुसार विविध्योग किया जोनल मास्टर विध्यान से सी नी से से सीन्माण क्रियकण जोन सास्टर विध्यान के सीन्माण क्रियललाप को लोन सास्टर प्लान			(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के
(14) होटलों, लॉज और रिसोटों के विद्यमान परिस्पों में बाड लगाना। (15) विद्यमान महक्कों को बीड़ा करना, उन्हें मुदुङ करना और नई सड़कों का सीनिर्मण। (16) राजि में यानिक यातायात का संचलन। (17) विदेशी प्रजातियों को लाना (18) पहाडी डालों और नदी तटों का संखला। (19) वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग। (19) वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग। (20) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लयु उद्योग। (21) नए काष्ठ आधारित उद्योग। (22) मए काष्ठ आधारित उद्योग। (23) सीनिर्मणि क्रियाकलाप (24) सीनिर्मणि क्रियाकलाप (25) सीनिर्मणि क्रियाकलाप। (26) सीनिर्मणि क्रियाकलाप। (27) साइन्हिल्लाप क्रियाचे कार्यक्रिले क्रियाचे कार्यक्रिले क्रियाचे कार्यक्रिले क्रियाचे कार्यक्र क्रियाचे कार्यक्रिले क्रिले क्रियाचे कार्यक्रिले क्रियाचे कार्यक्रिले क्रियाचे कार्यक्र क्रियाचे कार्यक्रिले क्रियाचे कार्यक्रिले क्रियाचे कार्यक्रिले क्रियाचे क्रयाचे क्रियाचे क्रयाचे क्रियाचे क्		2	लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(15) विद्यमान सद्रकों को चौद्रा करना, उन्हें सुद्र करना और नई सद्रकों का चौद्रा करना, उन्हें सुद्र करना और नई सद्रकों का सेनिमाण। (16) रात्रि में यानिक याताया का मंत्रकला। (17) विदेशी प्रजातियों को लाना (18) पहाड़ी द्यालों और नदी तटों का संरक्षण। (19) वाणिज्यक सादनबोई और होर्डिंग। (19) याणिज्यक सादनबोई और होर्डिंग। (20) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग। (20) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग। (21) नए काष्ठ आधारित उद्योग। (22) न ए काष्ठ आधारित उद्योग। (23) यारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिनमें 100 प्रतिश्वत आधारित काष्ठ का उपयोग होगा। (23) सेनिर्माण क्रियाकलाप। (24) संनिर्माण क्रियाकलाप। (25) वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संप्रकाण को किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यक भंनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिनमें 100 प्रतिश्वत आधारित काष्ठ का उपयोग होगा। (27) सीनर्माण क्रियाकलाप। (28) संनिर्माण क्रियाकलाप विचिचित होगा। परन्तु क्षानी केस अन्तर्गत पैरा 3 के उप-पैरा(1) में सूचीवद्व क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा। परन्तु और यह भी कि प्रदूषण को कम किया जाएगा। परन्तु और यह भी कि प्रदूषण को कम किया जाएगा। (28) एक किलोमीटर से पर पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तात तक सद्भावपूर्वक स्थानिय ति नियासिय किया जाएगा। (29) एक किलोमीटर से पर पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तात तक सद्भावपूर्वक स्थानिय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए सिनिर्माण को आनुतात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप की जोनल मास्टर प्रान के अनुतार विनियमित किया जाएगा। (30) एक किलोमीटर से पर पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तात तक सद्भावपूर्वक स्थानिय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए सिनिर्माण को आनुतात किया जाएगा। (31) पर सिन्यस्रित संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर	(13)		भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना।
सुद्दृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण । (16) रात्रि में यानिक यातायात का संचलन । (17) विदेशी प्रजातियों को लाना (18) पहाड़ी डालों और नर्दा तटों का संरक्षण । (19) वाणिज्यक साइनवोर्ड और होर्डिंग । (20) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग । (21) मए काष्ठ आधारित उद्योग । (22) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परेतु पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परेतु पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परेतु पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परेतु पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परेतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : संग्रहण (एन.टी.पी.एफ) । (23) सीनिर्माण क्रियाकलाप । (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण गंरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा । परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण क्रियाकलाप विनिय्मित किए जाएंग में सूचीबद्ध कियाकलाप विनिय्मित किए जाएंग । परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न कर वाले लघु उद्योगों से संविधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनिय्मित किए जाएंग और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा । ((व) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भाविक संविमीण कियाकलाप जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा । (ज) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।	(14)	081 00	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(16) रात्रि में यानिक यातायात का संजलन । लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे। (17) विदेशी प्रजातियों को लाना लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (18) पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (19) वाणिज्यिक साइनवोई और होर्डिंग । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (20) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग । पारिस्थितिक संवेदी जोन से भैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से अद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुजात किए जाएंगे । (21) नए काष्ठ आधारित उद्योग। पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे किसमें 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ का उपयोग होगा । (22) वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.पी.एफ) । (23) संनिर्माण क्रियाकलाप । (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुजात नहीं होगा । परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संविधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुजात किया जाएगा । (अ) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासीयों की अवकताओं के लिए संनिर्माण को अनुजात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को ओनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा । (अ) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासीयों की अवकताओं के लिए संनिर्माण को अनुजात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा । (अ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।	(15)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपाय यथा लागू
(17) विदेशी प्रजातियों को लाना लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (18) पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण। लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (19) वाणिज्यिक साइनवोई और होर्डिंग। लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (20) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग। पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंक्टमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से अद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुजात किए जाएंगे। (21) नए काष्ठ आधारित उद्योग। पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुजात नहीं किया जाएगा: परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिसमें 100 प्रतिशत अधारित त्र उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिसमें 100 प्रतिशत आधारित नियमित होंग। संग्रहण (एन.टी.पी.एफ)। (23) संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुजात नहीं होगा। परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संवेधित संनिर्माण क्रियाकलाप मी हैं, को करने के लिए अनुजात किया जाएगा। परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संवेधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुजात किया जाएगा। (अ) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भाव किया जाएगा। (विज्ञ किया जाएगा। किया जाएगा। किया जाएगा। किया जाएगा। (विज्ञ के अनुजात किया जाएगा। (विज्ञ के अनुजात किया जाएगा। (विज्ञ के अनुजात किया जाएगा। विज्ञ व्यावण्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्रान के अनुसार विनियमित किया जाएगा।		9.4	अनुसार होंगे।
(18) पहाड़ी द्वालों और नदी तटों का संरक्षण । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (19) वाणिज्यक साइनवोर्ड और होर्डिंग । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (20) प्रयूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग । पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से श्रीद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुजात किए जाएंगे । (21) नए काष्ठ आधारित उद्योग। पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिसमें 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ का उपयोग होगा । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (22) वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.पी.एफ) । (23) संनिर्माण क्रियाकलाप । (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुजात नहीं होगा । परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अन्तर्गत पैरा 3 के उप-पैरा(1) में सूचीवद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुजात किया जाएगा । परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संवेधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारों के पूर्व अनुजा लेकर ऐसे प्रदूषण काक्ष कम किया जाएगा । (ख) एक किलोमीटर से पर पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्धावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुजात किया जाएगा । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन के यानाणा को अन्तर्य वाणिज्यक संनिर्माण की अनुजात किया जाएगा । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जोनल सास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा । (ग) पारिस्थितक संवेदी जोन लिया जाएगा जोनल सास्टर	(16)		
(20) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (21) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग । पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे । (21) नए काष्ठ आधारित उद्योग। पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिसमें 100 प्रतिथत आयातित काष्ठ का उपयोग होगा । (22) वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.पी.एफ) । (23) संनिर्माण क्रियाकलाप । (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा । परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अन्तर्गत पैरा 3 के उप-पैरा(1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । परन्तु और यह भी कि प्रदूषण को हित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किया जाएगा । (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्धावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा । (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्धावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा । (ए) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर	(17)	The second secon	A1
(20) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग । पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से अद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे। (21) नए काष्ठ आधारित उद्योग। पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिसमें 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ का उपयोग होगा। परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन नहीं किया जाएगा : परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के जायातित काष्ठ का उपयोग होगा। लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (22) वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.पी.एफ)। (23) संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा। परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अन्तर्गत गैरा 3 के उप-गैरा(1) में सूचीवद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्धावपूर्वक स्थानिय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्धावपूर्वक स्थानिय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन से संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जोगल मास्टर		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A 2000 TO ANNO 18 AND 18 ST. AND 18 A
सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से आँद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे। (21) नए काष्ठ आधारित उद्योग। पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिसमें 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ का उपयोग होगा। (22) वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.पी.एफ)। (33) संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) किसी किस्स का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा। परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण किसके अन्तर्गत पैरा 3 के उप-पैरा(1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण कियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			
(21) नए काष्ठ आधारित उद्योग। पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिसमें 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ का उपयोग होगा। (22) वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.पी.एफ)। (23) संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा। परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अन्तर्गत पैरा 3 के उप-पैरा(1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा किया जाएगा। (अ) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा। (अ) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर	(20)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और
(21) नए काष्ठ आधारित उद्योग। पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिसमें 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ का उपयोग होगा । लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । संग्रहण (एन.टी.पी.एफ)। (23) संनिर्माण क्रियाकलाप । (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा । परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अन्तर्गत पैरा 3 के उप-पैरा(1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा । (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा । (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से
(21) नए काष्ठ आधारित उद्योग। पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिसमें 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ का उपयोग होगा । वागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । त्याहण (एन.टी.पी.एफ)। (23) संनिर्माण क्रियाकलाप । (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा । परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अन्तर्गत पैरा 3 के उप-पैरा(1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा । परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा केकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा । (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा । (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई
उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिसमें 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ का उपयोग होगा। (22) वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.पी.एफ)। (23) संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा। परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अन्तर्गत पैरा 3 के उप-पैरा(1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लाग् नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे जिसमें 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ का उपयोग होगा। (22) वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.पी.एफ)। (23) संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा। परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अन्तर्गत पैरा 3 के उप-पैरा(1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर	(21)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित
(22) वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.पी.एफ)। (23) संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा। परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अन्तर्गत पैरा 3 के उप-पैरा(1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :
(22) वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एन.टी.पी.एफ)। (23) संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा। परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अन्तर्गत पैरा 3 के उप-पैरा(1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए काष्ठ आधारित उद्योग स्थापित
(23) संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा। परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अन्तर्गत पैरा 3 के उप-पैरा(1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			किए जाएंगे जिसमें 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ का उपयोग होगा ।
(23) संनिर्माण क्रियाकलाप। (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा। परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अन्तर्गत पैरा 3 के उप-पैरा(1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर	(22)		लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
सीमा से एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात नहीं होगा। परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अन्तर्गत पैरा 3 के उप-पैरा(1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			,
परन्तु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अन्तर्गत पैरा 3 के उप-पैरा(1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर	(23)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	
भूमि में संनिर्माण जिसके अन्तर्गत पैरा 3 के उप-पैरा(1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			
क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			
परन्तु और यह भी कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			
संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर	5)		The same of the sa
नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			
पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			7.55
(ख) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			
सद्भावपूर्वक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			
को अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यक संनिर्माण क्रियाकलाप को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			
को जोनल मास्टर प्लान के अनुसार विनियमित किया जाएगा। (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप जोनल मास्टर			1 1 20 1 EX
प्लान के अनुसार होंगे ।			197 9
			प्लान के अनुसार होंगे।

(24)	पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं जैसे घर में	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
, , , ,	ठहराना, रज्जूमार्ग, कुश्क, रज्जु आदि ।	
(25)	सुरक्षा बलों के कैंप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में	उपचारित बहिर्स्नाव के पुनर्चव्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या
	उपचारित बहिर्स्नाव का निस्सारण ।	ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन
		करना होगा ।
(27)	पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे	
	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों	*
	के लिए टैंट, लकड़ी के मकान आदि।	
	ग- अनुइ	नात क्रियाकलाप :
(28)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला,	
	डेयरी उद्योग और मछली पालन ।	
(29)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(30)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए।
(31)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(32)	सभी गतिविधियों के लिए हरित	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
7. Table 2.00	प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	
(33)	वानस्पतिक बाड़ ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
(34)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
	कारीगर आदि भी हैं।	

- 5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-
 - (क) जिला कलक्टर, केन्द्रपारा, ओड़िसा सरकार अध्यक्ष ;
 - (ख) कलक्टर भदराक का प्रतिनिधि सदस्य ;
 - (ग) गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, ओड़िसा सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य ;
 - (घ) पुलिस अधीक्षक, केन्द्रपारा सदस्य ;
 - (ङ) पुलिस अधीक्षक, भदराक का प्रतिनिधि सदस्य ;
 - (च) पर्यावरण वन्यजीव और पारिस्थितिकी क्षेत्र में विशेषज्ञ, जिसे ओड़िसा सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा सदस्य :
 - (छ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का प्रतिनिधि सदस्य
 - (ज) ओड़िसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव का प्रतिनिधि सदस्य ;
 - (झ) खंड वन अधिकारी, भदराक वन्यजीव खंड सदस्य ; और
 - (ञ) खंड वन अधिकार एवम् वन्यजीव वार्डन, मैनग्रोव वन खंड (वन्यजीव) राजनगर सदस्य सचिव।

निर्देश निबंधन

(2) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।


- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबधित उपायुक्त, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट <mark>उपाबंध</mark> III पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- 6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
- 7. माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/4/2014-ईएसजेड-आरई]

डा. जी. वी. सुब्रहमण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध।

भीतारकनिका राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य और गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभ्यारण्य ओड़िसा की पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा के साथ अक्षांश और देशांतर का मानचित्र



2646 031/15-3

<u>उपाबंध II</u>

भीतारकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य भीतारकनिका राष्ट्रीय पार्क और गाहिरमाथा (समुद्री) वन्यजीव अभ्यारण्य ओड़िसा की प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

1. जिला भदराक:

1. अमबीलीगन छ- 20° 46' 7.095" पू - 86° 46' 26.644" 2. बदाहारीषुए छ - 20° 47' 40.15" पू - 86° 45' 58.15" 3. बदाज्ञांसिका छ - 20° 46' 11.825" पू - 86° 44' 20.81" 4. बघानता छ - 20° 46' 11.825" पू - 86° 44' 20.81" 5. बालीगन छ - 20° 47' 29.92" पू - 86° 44' 40.70" 6. बरेबंधुर छ - 20° 47' 29.92" पू - 86° 44' 43.50" 7. बेनतालपुर छ - 20° 45' 14.785" पू - 86° 44' 43.50" 8. बिद्युतापरवा छ - 20° 45' 14.785" पू - 86° 46' 46.075" 8. बिद्युतापरवा छ - 20° 46' 24.76" पू - 86° 45' 34' 26.45" 9. बित्तालो छ - 20° 45' 50.888" पू - 86° 43' 26.45" 10. बन्दाबली छ - 20° 45' 50.888" पू - 86° 43' 26.45" 11. बर्गटेचा छ - 20° 45' 50.888" पू - 86° 43' 16.758" 12. बोकोनट आइसलैण्ड छ - 20° 47' 47.500" पू - 86° 57' 35.67" 13. विदेशावा छ - 20° 47' 49.911" पू - 86° 57' 35.67" 14. धृबगफ्लीपुर छ - 20° 46' 32.347" पू - 86° 49' 37.742" 15. डुगीपुर छ - 20° 46' 18.85" पू - 86° 49' 37.742" 16. गोलादिया छ - 20° 48' 26.239" पू - 86° 49' 37.742" 17. बरीशपुर छ - 20° 48' 37.701" पू - 86° 51.51.918" 18. जपुला छ - 20° 48' 37.701" पू - 86° 55. 22.472" 20. बारकटा छ - 20° 48' 37.701" पू - 86° 55. 22.472" 20. बारकटा छ - 20° 48' 18.85" पू - 86° 55. 22.472" 21. जोसनामधी छ - 20° 44' 46.273" पू - 86° 55. 24.472" 22. कनकपल्ली छ - 20° 44' 46.273" पू - 86° 49. 05.75" 24. कन्धा छ - 20° 44' 46.273" पू - 86° 49. 05.75" 25. कर्दारीकाना छ - 20° 48' 18.314" पू - 86° 49. 05.75" 26. जोदिवापल छ - 20° 48' 26.200" पू - 86° 49' 14.76" 27. खात्रसाही छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 44' 52.53" 38. क्याल छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 44' 52.53" 39. गर्पसिगपुर छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 44' 52.53" 30. गयाहत छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 44' 52.53" 31. गेढुला छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 44' 52.53" 32. ओरालाहे छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 44' 52.53" 33. पाहतपुर छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 44' 52.53" 34. पाइलो छ - 20° 46' 58.39" पू	क्र. सं.	गांवों के नाम	अक्षांश	देशांतर
2. बदाहापीपुर				ч - 86° 46' 26.644"
3. बदाओसिंका। च - 20° 48' 34.57" पू - 86° 44' 20.81" 4. बधानता च - 20° 46' 11.825" पू - 86° 44' 20.81" 5. बालीगन च - 20° 47' 29.92" पू - 86° 44' 02.70" 6. बर्रेड्युष्ट च - 20° 47' 29.92" पू - 86° 44' 02.70" 7. बेनतालपुर च - 20° 45' 14.785" पू - 86° 44' 43.50" 8. विद्युतपरवा च - 20° 48' 18.417" पू - 86° 55. 49.076" 9. बिनलारो च - 20° 46' 24.76" पू - 86° 43' 26.45" 10. च-दाबली च - 20° 46' 24.76" पू - 86° 43' 16.758" 11. चरदिया च - 20° 47' 47.500" पू - 86° 50.45.409" 12. कोकोनट आइसलेण्ड च - 20° 47' 47.500" पू - 86° 50.45.409" 13. बिलावमरा च - 20° 46' 32.347" पू - 86° 49' 37.742" 14. धृत्रापहलीपुर च - 20° 46' 32.347" पू - 86° 48' 10.728" 15. दुर्गापुर च - 20° 46' 18.85" पू - 86° 49' 37.742" 16. गोलादिया च - 20° 46' 18.85" पू - 86° 42' 54.81" 17. हरीशपुर च - 20° 48' 26.265" पू - 86° 42' 54.81" 18. जगुला च - 20° 48' 37.701" पू - 86° 53. 54.118" 19. जयदुर्गापटना च - 20° 48' 37.701" पू - 86° 55. 22.472" 20. इरकटा च - 20° 48' 18.314" पू - 86° 55. 22.472" 21. जोसनामयी च - 20° 48' 18.314" पू - 86° 55. 24.3953" 22. कनकपल्ली च - 20° 48' 18.314" पू - 86° 55. 24.3953" 23. कन्दागरवी च - 20° 44' 46.273" पू - 86° 49' 57.55" 24. कन्धा च - 20° 44' 46.385" पू - 86° 49' 57.55" 25. कर्युतिकाना च - 20° 44' 46.385" पू - 86° 45' 54.109" 27. खानरसाही च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 57.55" 38. पुळले च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 39. गयाहत च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 31. गोदुआली च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 31. गोदुआली च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 32. ओरासाहो च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 33. पाहदपुर च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 34. पाइकारसाही च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 35. पाइकारसाही च - 20° 46' 60.20" पू - 86° 44' 52.53" 36. पाचुरला च - 20° 46' 60.40,40" पू - 86° 44' 52.53" 37. पाइली च - 20° 46' 60.40,40" पू - 86° 44' 52.53" 38. पोखलीसाहो च - 20° 46' 60.60,40" पू - 86° 44' 52.54"		बदाहारीपुर	ਚ - 20° 47' 40.15"	ч - 86° 45' 58.15"
4. बंघानता			ਚ - 20° 48' 34.57"	ч - 86° 44' 20.81"
5. बालीगन ख - 20° 47' 29.92" पू - 86° 44' 02.70" 6. बरेईपुर ख - 20° 47' 25.30" पू - 86° 44' 43.50" 7. बेनतालपुर ख - 20° 45' 14.785" पू - 86° 46' 46' 07.5" 8. विद्युतपरवा ख - 20° 46' 14.76" पू - 86° 43' 26.45" 9. विनतारो ख - 20° 45' 50.888" पू - 86° 43' 26.45" 10. बन्दाबली ख - 20° 45' 50.888" पू - 86° 53.45.69" 11. चरविया ख - 20° 47' 47.500" पू - 86° 50.45.409" 12. कोकोनट आइसलेण्ड ख - 20° 47' 49.911" पू - 86° 57' 35.67" 13. विक्षनधाय ख - 20° 46' 32.347" पू - 86° 49' 37.742" 14. धुबापडलीपुर ख - 20° 46' 32.347" पू - 86° 49' 37.742" 15. दुर्गापुर ख - 20° 46' 18.85" पू - 86° 49' 37.742" 16. गोलादिया ख - 20° 46' 18.85" पू - 86° 44' 10.728" 17. हरीशपुर ख - 20° 48' 26.239" पू - 86° 53. 54.118" 19. जयदुगापटना ख - 20° 48' 37.701" पू - 86° 53. 20.95" 18. जगुला ख - 20° 47' 48.825" पू - 86° 55. 22.472" 20. झरकटा <td></td> <td>बघानता</td> <td>ਚ - 20° 46' 11.825"</td> <td>प - 86° 48' 56.636"</td>		बघानता	ਚ - 20° 46' 11.825"	प - 86° 48' 56.636"
6. बरेईपुर 7. बेनतालपुर 8. बिस्युसपरवा 9 - 20° 45' 14.785" पू 86° 46' 46.075" 8. बिस्युसपरवा 9 - 20° 48' 18.417" पू 86° 55. 49.076" 9. बिनतालो 10. चन्दाबली 11. चरिसेया 12. कोकोनट आइसलैण्ड 12. कोकोनट आइसलैण्ड 13. विक्षेत्रमण्य 14. धुबापहलीपुर 15. दुर्गापुर 16. गोलादिय 17. चर्य 20° 46' 32.347" पू 86° 49' 37.742" 18. धुबापहलीपुर 19. च - 20° 46' 32.347" पू 86° 49' 37.742" 19. च - 20° 46' 18.85" पू 86° 49' 37.742" 19. च - 20° 46' 18.85" पू 86° 49' 37.742" 19. च - 20° 46' 18.85" पू 86° 55. 25.481" 17. च च 18 प्राप्ट च - 20° 46' 18.85" पू 86° 55. 25.481" 18. जगुला 19. जयदुर्गापटना 19. जयदुर्गापटना 19. जयदुर्गापटना 19. जयदुर्गापटना 19. च 20° 48' 28.566" पू 86° 55. 22.472" 20. इस्कटा 21. जोसनामथी 22. क नकपल्ली 23. कन्दागरसी 24. कच्चा 25. कश्त्रीकाना 26. कोरियापाल 27. च 20° 48' 19.26" पू 86° 52. 43.953" 28. कुलही 29. नरिसंगपुर 20. च 20° 44' 46.273" पू 86° 48' 50.645" 29. नरिसंगपुर 20. च 20° 44' 46.385" पू 86° 52. 43.953" 21. जोसनामथी 22. क व 20° 45' 25.172" पू 86° 48' 50.645" 22. क व 48' 20° 45' 25.172" पू 86° 48' 50.645" 28. कुलही 29. नरिसंगपुर 20. च 20° 44' 46.273" पू 86° 48' 50.645" 29. नरिसंगपुर 20. च 20° 48' 20.630" पू 86° 44' 52.53" 31. नेदुआली 32. ओरासाही 33. पाइवरपुर 34. पाइकारपुर 35. पाइकारसाही 36. पाइकारसाही 37. पाइली 38. पोखारीसाही 38. पोखारीसाही 39. प्रविभावत 39. पु 20° 46' 47' 47.36" पू 86° 44' 52.53" 31. पाइकारसाही 31. नेदुआली 32. अरेरसाही 33. पाइकारसाही 34. पाइकारपुर 35. पाइकारसाही 36. पाचुराखा 37. पाइली 38. पोखारीसाही 38. पोखारीसाही 39. 20° 46' 46' 46.694" पू 86° 44' 52.988"		. II.	ਚ - 20° 47' 29.92"	y - 86° 44' 02.70"
7. बेनतालपुर	6.	बरेईपुर	ਚ - 20° 47' 25.30"	ч - 86° 44' 43.50"
8. विद्युतपरवा			ਚ - 20° 45' 14.785"	ч - 86° 46' 46.075"
9. विन्तारों च - 20° 46' 24.76" पू - 86° 43' 26.45" 10. वन्दाबली च - 20° 45' 50.888" पू - 86° 43' 16.758" 11. वरिवा च - 20° 47' 47.500" पू - 86° 50.45.409" 12. कोकोनट आइसलैण्ड च - 20° 50' 14.76" पू - 86° 57' 35.67" 13. विहानधमरा च - 20° 47' 49.911" पू - 86° 53. 45.680" 14. धुबापहलीपुर च - 20° 46' 32.347" पू - 86° 48' 10.728" 15. चुगीपुर च - 20° 46' 18.85" पू - 86° 48' 10.728" 16. गोलादिया च - 20° 46' 18.85" पू - 86° 48' 10.728" 17. हरीशपुर च - 20° 48' 26.239" पू - 86° 51.51.918" 18. जगुला च - 20° 47' 48.825" पू - 86° 55. 22.472" 20. इरकटा च - 20° 48' 8.8566" पू - 86° 55. 22.472" 20. इरकटा च - 20° 48' 18.314" पू - 86° 55. 22.472" 21. जोसनामयी च - 20° 47' 47.705" पू - 86° 55. 20.95" 22. कनकपल्ली च - 20° 47' 19.26" पू - 86° 55. 43.953" 23. कन्दानगरदी च - 20° 47' 19.26" पू - 86° 48' 50.645" 24. कन्धा च - 20° 44' 46.273" पू - 86° 48' 50.645" 25. कर्द्रीकाना च - 20° 44' 46.385" पू - 86° 47' 19.981" 27. खामरसाही च - 20° 44' 46.385" पू - 86° 47' 19.981" 28. खुलही च - 20° 46' 02.20" पू - 86° 52. 06.42" 29. नरिवापाल च - 20° 48' 20.630" पू - 86° 52. 06.42" 29. नरिवापाल च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 31. नेदुआली च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 32. ओरसाही च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 33. पाहवपुर च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 34. पाइकारपुर च - 20° 46' 46.694" पू - 86° 45' 28.73" 35. पाइकासाही च - 20° 47' 47.36" पू - 86° 45' 52.048" 36. पनचुपाडा च - 20° 47' 47.36" पू - 86° 45' 52.948" 37. पादुली च - 20° 46' 66.94" पू - 86° 45' 56.450"			ਚ - 20° 48' 18.417"	y - 86° 55, 49,076"
10. वन्दाबली इ 20° 45' 50.888" पू 86° 43' 16.758" 11. वरिया इ 20° 47' 47.500" पू 86° 50.45.409" 12. कोकोनट आइसलैण्ड इ 20° 50' 14.76" पू 86° 57' 35.67" 13. विक्षित्ममप इ 20° 47' 49.911" पू 86° 53. 45.680" 14. धुबापहलीपुर इ 20° 46' 32.347" पू 86° 49' 37.742" 15. इर्गापुर इ 20° 45' 26.265" पू 86° 48' 10.728" 16. गोलादिया इ 20° 46' 18.85" पू 86° 42' 54.81" 17. हरीशपुर इ 20° 48' 26.239" पू 86° 51.51.918" 18. जगुला इ 20° 48' 37.701" पू 86° 53. 54.118" 19. जयदुर्गापटना इ 20° 48' 37.701" पू 86° 55. 52.472" 20. इरकटा इ 20° 48' 28.566" पू 86° 53. 2.095" 21. जोसनामयी इ 20° 48' 18.314" पू 86° 56. 6.029" 22. कनकपल्ली इ 20° 48' 18.314" पू 86° 56. 6.029" 23. कन्दागरदी इ 20° 44' 46.273" पू 86° 56. 6.029" 24. कन्धा इ 20° 44' 46.273" पू 86° 49. 05.75" 24. कन्धा इ 20° 44' 46.385" पू 86° 48' 50.645" 25. कश्तूरीकाना इ 20° 46' 02.20" पू 86° 48' 50.645" 26. कोदियापाल इ 20° 48' 20.630" पू 86° 53' 45.659" 30. नयाहत इ 20° 46' 58.29" पू 86° 49' 14.76" 31. गेढुआली इ 20° 46' 58.29" पू 86° 49' 14.76" 32. ओरासाही इ 20° 46' 58.29" पू 86° 49' 14.76" 33. पाहवपुर इ 20° 46' 46.694" पू 86° 45' 54.12288" 34. पाइकारपुर इ 20° 46' 46.694" पू 86° 44' 52.83" 35. पाइकारपुर इ 20° 46' 46.694" पू 86° 44' 52.948" 36. पनद्युपाडा इ 20° 46' 46.694" पू 86° 45' 56.450"			ਚ - 20° 46' 24.76"	प - 86° 43' 26.45"
11. चरावेया		चन्दाबली	ਚ - 20° 45' 50.888"	y - 86° 43' 16.758"
12. काकानट आइसलण्ड ज - 20° 50' 14.76" पू - 86° 57' 35.67" 13. विक्षेनघमरा ज - 20° 47' 49.911" पू - 86° 53. 45.680" 14. धुबापहलीपुर ज - 20° 46' 32.347" पू - 86° 49' 37.742" 15. दुर्गापुर ज - 20° 46' 18.85" पू - 86° 48' 10.728" 16. गोलादिया ज - 20° 46' 18.85" पू - 86° 42' 54.81" 17. हरीशपुर ज - 20° 48' 26.239" पू - 86° 51.51.918" 18. जगुला ज - 20° 48' 37.701" पू - 86° 53. 54.118" 19. जयदुर्गापटना ज - 20° 47' 48.825" पू - 86° 55. 22.472" 20. झरकटा ज - 20° 48' 18.314" पू - 86° 53. 2.095" 21. जोसनामयी ज - 20° 47' 47.705" पू - 86° 56. 6.029" 22. कनकपल्ली ज - 20° 47' 19.26" पू - 86° 52. 43.953" 23. कन्दागरदी ज - 20° 44' 46.273" पू - 86° 45' 54.109" 25. कश्तूरीकाना ज - 20° 44' 46.373" पू - 86° 45' 54.109" 26. कोदियापाल ज - 20° 44' 46.385" पू - 86° 48' 50.645" 27. खामरसाही ज - 20° 44' 46.385" पू - 86° 47' 19.981" 28. कुलही ज - 20° 48' 20.630" पू - 86° 42' 32.18" 29. नरिसंगपुर ज - 20° 48' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 30. नयाहत ज - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 31. नेदुआली ज - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 32. ओरासाही ज - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 33. पाहदपुर ज - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 34. पाइकारपुर ज - 20° 47' 32.40" पू - 86° 43' 37.264" 34. पाइकारपुर ज - 20° 48' 5.855" पू - 86° 45' 28.73" 35. पाइकासाही ज - 20° 46' 46.694" पू - 86° 44' 52.948" 36. पनचुपाडा ज - 20° 46' 46.694" पू - 86° 44' 52.948" 37. पादुली ज - 20° 46' 46.694" पू - 86° 45' 56.450"		चरदिया	ਭ - 20° 47' 47.500"	ч - 86° 50 45 409"
13. विक्षेत्रधामरा च - 20° 47' 49.911" पू - 86° 53. 45.680" 14. धुबापहलीपुर च - 20° 46' 32.347" पू - 86° 49' 37.742" 15. दुर्गापुर च - 20° 45' 26.265" पू - 86° 48' 10.728" 16. गोलादिया च - 20° 46' 18.85" पू - 86° 42' 54.81" 17. हरीशपुर च - 20° 48' 26.239" पू - 86° 51.51.918" 18. जगुला च - 20° 48' 37.701" पू - 86° 53. 54.118" 19. जयदुर्गापटना च - 20° 47' 48.825" पू - 86° 53. 2.095" 20. झरकटा च - 20° 48' 28.566" पू - 86° 53. 2.095" 21. जोसनामयी च - 20° 47' 47.705" पू - 86° 56. 6.029" 22. कनकपत्ली च - 20° 48' 18.314" पू - 86° 52. 43.953" 23. कन्दागरदी च - 20° 47' 19.26" पू - 86° 52. 43.953" 24. कन्धा च - 20° 44' 46.273" पू - 86° 49. 05.75" 25. कश्तूरीकाना च - 20° 44' 46.385" पू - 86° 48' 50.645" 26. कोदियापल च - 20° 44' 46.385" पू - 86° 48' 50.645" 27. खामरसाही च - 20° 44' 46.385" पू - 86° 42' 32.18" 29. नरिसंगपुर च - 20° 48' 20.630" पू - 86° 53' 45.659" 30. नयाहत च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 32. ओरासाही च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 33. पाइतपुर च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 34. पाइकारपुर च - 20° 47' 32.40" पू - 86° 44' 37.264" 34. पाइकारपुर च - 20° 48' 58.55" पू - 86° 45' 28.73" 35. पाइलासाही च - 20° 47' 47.36" पू - 86° 54. 12.288" 36. पनचुपाडा च - 20° 46' 46.694" पू - 86° 43' 52.948" 38. पोखारीसाही च - 20° 45' 36.336" पू - 86° 45' 56.450"		कोकोनट आइसलैण्ड	ਚ - 20° 50' 14.76"	ч - 86° 57' 35.67"
14. धुबापहलीपुर च - 20° 46' 32.347" पू - 86° 49' 37.742" 15. दुर्गापुर च - 20° 45' 26.265" पू - 86° 48' 10.728" 16. गोलादिया च - 20° 46' 18.85" पू - 86° 42' 54.81" 17. हरीशपुर च - 20° 48' 26.239" पू - 86° 51.51.918" 18. जगुला च - 20° 48' 37.701" पू - 86° 53. 54.118" 19. जयदुर्गापटना च - 20° 47' 48.825" पू - 86° 55. 22.472" 20. झरकटा च - 20° 48' 28.566" पू - 86° 53. 2.095" 21. जोसनामयी च - 20° 47' 47.705" पू - 86° 56. 6.029" 22. कनकपल्ली च - 20° 48' 18.314" पू - 86° 52. 43.953" 23. कन्द्रागरदी च - 20° 47' 19.26" पू - 86° 49. 05.75" 24. कन्धा च - 20° 47' 19.26" पू - 86° 49. 05.75" 25. कश्च्रिकाना च - 20° 44' 46.273" पू - 86° 45' 54.109" 25. कश्च्रिकाना च - 20° 44' 46.385" पू - 86° 47' 19.981" 27. खामरसाही च - 20° 44' 46.385" पू - 86° 47' 19.981" 28. कुलही च - 20° 46' 02.20" पू - 86° 42' 32.18" 29. नरसिंगपुर च - 20° 48' 20.630" पू - 86° 53' 45.659" 30. नयाहत च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 32. ओरासाही च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 33. पाइदपुर च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 34. पाइकारपुर च - 20° 46' 58.55" पू - 86° 46' 27.53" 35. पाइकासाही च - 20° 48' 5.855" पू - 86° 54. 12.288" 36. पनचुपाडा च - 20° 46' 46.694" पू - 86° 45' 56.450" 37. पाटुली च - 20° 45' 36.336" पू - 86° 45' 56.450"		दक्षिनधमरा		प - 86° 53, 45,680"
15. दुर्गापुर		धुबापहलीपुर	ਚ - 20° 46' 32.347"	प - 86° 49' 37.742"
16. गोलादिया			ਚ - 20° 45' 26.265"	ч - 86° 48' 10.728"
17. हरीशपुर ज - 20° 48' 26.239" पू - 86° 51.51.918" 18. जगुला ज - 20° 48' 37.701" पू - 86° 53. 54.118" 19. जयदुर्गीपटना ज - 20° 47' 48.825" पू - 86° 55. 22.472" 20. झरकटा ज - 20° 48' 28.566" पू - 86° 53. 2.095" 21. जोसनामयी ज - 20° 47' 47.705" पू - 86° 56. 6.029" 22. कनकपल्ली ज - 20° 48' 18.314" पू - 86° 52. 43.953" 23. कन्दागरदी ज - 20° 47' 19.26" पू - 86° 49. 05.75" 24. कन्धा ज - 20° 44' 46.273" पू - 86° 45' 54.109" 25. कश्त्रीकाना ज - 20° 45' 25.172" पू - 86° 48' 50.645" 26. कौदियापाल ज - 20° 44' 46.385" पू - 86° 47' 19.981" 27. खामरसाही ज - 20° 46' 02.20" पू - 86° 42' 32.18" 29. नरसिंगपुर ज - 20° 46' 02.20" पू - 86° 42' 32.18" 29. नरसिंगपुर ज - 20° 46' 58.29" पू - 86° 44' 52.53" 31. नेदुआली ज - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 32. ओरासाही ज - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 33. पाहदपुर ज - 20° 46' 22.777" पू - 86° 46' 27.53" 34. पाइकारपुर ज - 20° 47' 32.40" पू - 86° 54. 12.288" 35. पाइकासाही ज - 20° 46' 46.694" पू - 86° 54. 12.288" 36. पनचुपाडा ज - 20° 46' 46.694" पू - 86° 43' 52.948" 37. पाटुली ज - 20° 46' 46.694" पू - 86° 43' 52.948" 38. पोखारीसाही ज - 20° 46' 46.694" पू - 86° 44' 50.450"	16.	गोलादि'या	ਰ - 20° 46' 18.85"	ч - 86° 42' 54.81"
18. जगुला		हरीशपुर	ਚ - 20° 48' 26.239"	ч - 86° 51.51.918"
19. जयदुर्गापटना	18.	जगुला	ਰ - 20° 48' 37.701"	प - 86° 53, 54,118"
20. झरकटा छ - 20° 48' 28.566" पू - 86° 53. 2.095" 21. जोसनामयी छ - 20° 47' 47.705" पू - 86° 56. 6.029" 22. कनकपल्ली छ - 20° 48' 18.314" पू - 86° 52. 43.953" 23. कन्दागरदी छ - 20° 47' 19.26" पू - 86° 49. 05.75" 24. कन्धा छ - 20° 44' 46.273" पू - 86° 45' 54.109" 25. कश्त्रीकाना छ - 20° 45' 25.172" पू - 86° 48' 50.645" 26. कौदियापाल छ - 20° 44' 46.385" पू - 86° 47' 19.981" 27. खामरसाही छ - 20° 55' 24.80" पू - 86° 52. 06.42" 28. कुलही छ - 20° 55' 24.80" पू - 86° 52. 06.42" 29. नरिसंगपुर छ - 20° 46' 02.20" पू - 86° 53' 45.659" 30. नयाहत छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 44' 52.53" 31. नेदुआली छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 32. ओरासाही छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 33. पाइवपुर छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 34. पाइकारपुर छ - 20° 46' 58.55" पू - 86° 46' 27.53" 35. पाइकासाही छ - 20° 48' 5.855" पू - 86° 45' 28.73" 36. पनचुपाडा छ - 20° 46' 46.694" पू - 86° 43' 52.948" 37. पादुली छ - 20° 46' 46.694" पू - 86° 45' 56.450"		जयदुर्गापटना	ਰ - 20° 47' 48.825"	ч - 86° 55. 22.472"
21. जासनामया	20.	झरकटा	ਚ - 20° 48' 28.566"	प - 86° 53, 2,095"
22. कनकपत्ली	21.	जोसनामयी .	ਚ - 20° 47' 47.705"	प - 86° 56, 6,029"
23. कन्दागरदी च - 20° 47' 19.26" पू - 86° 49. 05.75" 24. कन्धा च - 20° 44' 46.273" पू - 86° 45' 54.109" 25. कश्त्रीकाना च - 20° 45' 25.172" पू - 86° 48' 50.645" 26. कौदियापाल च - 20° 44' 46.385" पू - 86° 47' 19.981" 27. खामरसाही च - 20° 55' 24.80" पू - 86° 52. 06.42" 28. कुलही च - 20° 46' 02.20" पू - 86° 42' 32.18" 29. नरसिंगपुर च - 20° 48' 20.630" पू - 86° 53' 45.659" 30. नयाहत च - 20° 47' 57.60" पू - 86° 44' 52.53" 31. नेंदुआली च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 32. ओरासाही च - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 33. पाहवपुर च - 20° 46' 22.777" पू - 86° 49' 14.76" 34. पाइकारपुर च - 20° 46' 22.777" पू - 86° 46' 27.53" 35. पाइकासाही च - 20° 48' 5.855" पू - 86° 46' 27.53" 36. पनचुपाडा च - 20° 47' 47.36" पू - 86° 45' 28.73" 37. पादुली च - 20° 46' 46.694" पू - 86° 45' 56.450"	22.	कनकपल्ली	ਚ - 20° 48' 18.314"	ч - 86° 52. 43.953"
24. कम्धा छ - 20° 44' 46.273" पू - 86° 45' 54.109" 25. कश्तूरीकाना छ - 20° 45' 25.172" पू - 86° 48' 50.645" 26. कौदियापाल छ - 20° 44' 46.385" पू - 86° 47' 19.981" 27. खामरसाही छ - 20° 55' 24.80" पू - 86° 52. 06.42" 28. कुलही छ - 20° 46' 02.20" पू - 86° 42' 32.18" 29. नरिशंगपुर छ - 20° 48' 20.630" पू - 86° 53' 45.659" 30. नयाहत छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 44' 52.53" 31. नेदुआली छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 32. ओरासाही छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 33. पाहदपुर छ - 20° 46' 22.777" पू - 86° 43' 37.264" 34. पाइकारपुर छ - 20° 47' 32.40" पू - 86° 46' 27.53" 35. पाइकासाही छ - 20° 48' 5.855" पू - 86° 45' 28.73" 36. पनचुपाडा छ - 20° 47' 47.36" पू - 86° 45' 28.73" 37. पादुली छ - 20° 46' 46.694" पू - 86° 45' 56.450"	23.	कन्दागरदी		ч - 86° 49. 05.75"
25. कश्तूरीकाना	24.	कन्धा		प - 86° 45' 54.109"
26. कांदियापाल	25.			ч - 86° 48' 50.645"
27. खामरसाही	26.	कौदियापाल	ਚ - 20° 44' 46.385"	ч - 86° 47' 19.981"
28. कुलही उ - 20° 46' 02.20" पू - 86° 42' 32.18" 29. नरसिंगपुर उ - 20° 48' 20.630" पू - 86° 53' 45.659" 30. नयाहत उ - 20° 47' 57.60" पू - 86° 44' 52.53" 31. नेदुआली उ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 32. ओरासाही उ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 33. पाहदपुर उ - 20° 46' 22.777" पू - 86° 43' 37.264" 34. पाइकारपुर उ - 20° 47' 32.40" पू - 86° 46' 27.53" 35. पाइकासाही उ - 20° 48' 5.855" पू - 86° 54. 12.288" 36. पनचुपाडा उ - 20° 46' 46.694" पू - 86° 43' 52.948" 37. पांडुली उ - 20° 46' 46.694" पू - 86° 45' 56.450" 38. पोखारीसाही उ - 20° 45' 36.336" पू - 86° 45' 56.450"			ਚ - 20° 55' 24.80"	ч - 86° 52. 06.42"
29. नरसिंगपुर ज - 20° 48' 20.630" पू - 86° 53' 45.659" 30. नयाहत ज - 20° 47' 57.60" पू - 86° 44' 52.53" 31. नेदुआली ज - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 32. ओरासाही ज - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 33. पाहदपुर ज - 20° 46' 22.777" पू - 86° 43' 37.264" 34. पाइकारपुर ज - 20° 47' 32.40" पू - 86° 46' 27.53" 35. पाइकासाही ज - 20° 48' 5.855" पू - 86° 54. 12.288" 36. पनचुपाडा ज - 20° 47' 47.36" पू - 86° 45' 28.73" 37. पाटुली ज - 20° 46' 46.694" पू - 86° 43' 52.948" 38. पोखारीसाही ज - 20° 45' 36.336" पू - 86° 45' 56.450"	28.		ਚ - 20° 46' 02.20"	ч - 86° 42' 32.18"
30. नयाहत छ - 20° 47' 57.60" पू - 86° 44' 52.53" 31. नेदुआली छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 32. ओरासाही छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 33. पाहदपुर छ - 20° 46' 22.777" पू - 86° 43' 37.264" 34. पाइकारपुर छ - 20° 47' 32.40" पू - 86° 46' 27.53" 35. पाइकासाही छ - 20° 48' 5.855" पू - 86° 54. 12.288" 36. पनचुपाडा छ - 20° 47' 47.36" पू - 86° 45' 28.73" 37. पाटुली छ - 20° 46' 46.694" पू - 86° 43' 52.948" 38. पोखारीसाही छ - 20° 45' 36.336" पू - 86° 45' 56.450"	29.	नरसिंगपुर .	ਚ - 20° 48' 20.630"	प - 86° 53' 45.659"
31. नदुआली छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 32. ओरासाही छ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 33. पाहदपुर छ - 20° 46' 22.777" पू - 86° 43' 37.264" 34. पाइकारपुर छ - 20° 47' 32.40" पू - 86° 46' 27.53" 35. पाइकासाही छ - 20° 48' 5.855" पू - 86° 54. 12.288" 36. पनचुपाडा छ - 20° 47' 47.36" पू - 86° 45' 28.73" 37. पांढुली छ - 20° 46' 46.694" पू - 86° 43' 52.948" 38. पोखारीसाही छ - 20° 45' 36.336" पू - 86° 45' 56.450"	30.	नयाहत	ਚ - 20° 47' 57.60"	ч - 86° 44' 52.53"
32. आरासाही उ - 20° 46' 58.29" पू - 86° 49' 14.76" 33. पाहदपुर उ - 20° 46' 22.777" पू - 86° 43' 37.264" 34. पाइकारपुर उ - 20° 47' 32.40" पू - 86° 46' 27.53" 35. पाइकासाही उ - 20° 48' 5.855" पू - 86° 54. 12.288" 36. पनचुपाडा उ - 20° 47' 47.36" पू - 86° 45' 28.73" 37. पाटुली उ - 20° 46' 46.694" पू - 86° 43' 52.948" 38. पोखारीसाही उ - 20° 45' 36.336" पू - 86° 45' 56.450"	31.	The state of the s		ч - 86° 49' 14.76"
33. पाहदपुर उ - 20° 46' 22.777" पू - 86° 43' 37.264" 34. पाइकारपुर उ - 20° 47' 32.40" पू - 86° 46' 27.53" 35. पाइकासाही उ - 20° 48' 5.855" पू - 86° 54. 12.288" 36. पनचुपाडा उ - 20° 47' 47.36" पू - 86° 45' 28.73" 37. पाटुली उ - 20° 46' 46.694" पू - 86° 43' 52.948" 38. पोखारीसाही उ - 20° 45' 36.336" पू - 86° 45' 56.450"	32.	ओरासाही	ਚ - 20° 46' 58.29"	प - 86° 49' 14.76"
34. पाइकारपुर उ - 20° 47' 32.40" पू - 86° 46' 27.53" 35. पाइकासाही उ - 20° 48' 5.855" पू - 86° 54. 12.288" 36. पनचुपाडा उ - 20° 47' 47.36" पू - 86° 45' 28.73" 37. पाटुली उ - 20° 46' 46.694" पू - 86° 43' 52.948" 38. पोखारीसाही उ - 20° 45' 36.336" पू - 86° 45' 56.450"	33.		ਚ - 20° 46' 22.777"	प - 86° 43' 37.264"
35. पाइकासाही उ - 20° 48' 5.855" पू - 86° 54. 12.288" 36. पनचुपाडा उ - 20° 47' 47.36" पू - 86° 45' 28.73" 37. पांटुली उ - 20° 46' 46.694" पू - 86° 43' 52.948" 38. पोखारीसाही उ - 20° 45' 36.336" पू - 86° 45' 56.450"			ਚ - 20° 47' 32.40"	पू - 86° 46' 27.53"
उ. पनचुपाडा उ - 20° 47' 47.36" पू - 86° 45' 28.73" उ7. पाटुली उ - 20° 46' 46.694" पू - 86° 43' 52.948" उ8. पोखारीसाही उ - 20° 45' 36.336" पू - 86° 45' 56.450"			ਚ - 20° 48' 5.855"	ч - 86° 54. 12.288"
37. पांटुली उ - 20° 46' 46.694" पू - 86° 43' 52.948" 38. पोखारीसाही उ - 20° 45' 36.336" पू - 86° 45' 56.450"	36.		ਚ - 20° 47' 47.36"	पू - 86° 45' 28.73"
38. पोखारीसाही उ - 20° 45' 36.336" पू - 86° 45' 56.450"			ਚ - 20° 46' 46.694"	पू - 86° 43' 52.948"
39. राजाराजेश्वरपल्ली	38.		ਚ - 20° 45' 36.336"	प् - 86° 45' 56.450"
	39.	राजाराजेश्वरपल्ली	ਚ - 20° 48' 2.347"	ч - 86° 51. 51.940"

40.	राजेन्द्रपाली	ਚ - 20° 47' 32.735"	पू - 86° 51.14.461"
41.	सोमपुर	ਚ - 20° 47' 29.02"	पू - 86° 45' 49.08"
42.	सनहारीपुर	ਚ - 20° 46' 25.259"	पू - 86° 45' 57.585"
43.	सिमुलिया	ਚ - 20° 37' 49.253"	पू - 86° 39' 44.932"
44.	चन्दाबली	ਚ - 20° 46' 16.97"	पू - 86° 44' 15.00"
45.	धमरा	ਚ - 20° 47' 43.14"	पू - 86° 53' 47.97"

2. जिला केन्द्रपाडा:

क्र.सं.	गांवों के नाम	अक्षाश	देशांतर
1.	अछुतापुर	ਚ - 20° 43' 12.529"	पू - 86° 41' 11.285"
2.	अछिनता	ਚ - 20° 44' 35.648"	पू - 86° 41' 47.397"
3.	अधादेउनरिया	ਚ - 20° 33' 31.024"	पू - 86° 40' 3.620"
4.	अधाजोरी	ਚ - 20° 34' 23.243"	पू - 86° 39' 4.310"
5.	अलाकाना	ਚ - 20° 40' 34.324"	पू - 86° 40' 37.760"
6.	अन्धारूआ	ਚ - 20° 33' 37.739"	पू - 86° 39' 6.830"
7.	अरेहिकाना	ਚ - 20° 37' 41.021"	ч - 86° 39' 17.376"
8.	अशोका दिआ	ਚ - 20° 45' 0.085"	प - 86° 47' 59.876"
9.	अताला	ਚ - 20° 39' 5.620"	पू - 86° 40' 58.496"
10.	बबारा . ,	ਚ - 20° 29' 35.653"	ч - 86° 39' 27.004"
11.	बडागरा	ਚ - 20° 44' 12.064"	ч - 86° 42' 53.418"
12.	बडाजोरमुहान	ਚ - 20° 41' 59.705"	पु - 86° 41' 5.389"
13.	बडामबिला	ਚ - 20° 38' 49.620"	ч - 86° 40' 19.851"
14.	बदानको -	ਚ - 20° 40' 36.654"	पु - 86° 41' 6.769"
15.	बाडापाल	ਚ - 20° 30' 22.325"	ч - 86° 41' 20.409"
16.	बडातईला	ਚ - 20° 44' 53.918"	पु - 86° 42' 26.064"
17.	बधेई पाडा	ਚ - 20° 30' 11.986"	ч - 86° 40' 39.069"
18.	बादपल्ली	ਚ - 20° 30' 51.891"	ч - 86° 41' 24.876"
19.	बाघाबुदा	ਚ - 20° 44' 34.548"	पु - 86° 42' 9.169"
20.	बाघातइला	ਚ - 20° 32' 28.003"	पु - 86° 41' 26.627"
21.	बाला भदारापुर	ਚ - 20° 35' 55.212"	ч - 86° 39' 50.621"
22.	बालाबटी	ਚ - 20° 41' 28.957"	ч - 86° 40' 49.735"
23.	बलरामपुर	ਰ - 20° 44' 9.406"	प - 86° 40' 26.710"
24.	बालीझरी	ਚ - 20° 34' 11.25"	प - 86° 41' 35.55"
25.	बलिया	ਚ - 20° 33' 19.569"	पू - 86° 39' 23.782"
26.	बलियापल्ली	ਚ - 20° 30' 13.035"	प - 86° 39' 51.972"
27.	बलियादा	ਚ - 20° 38' 30.209"	प - 86° 39' 43.633"
28.	बलियाजोरी	ਚ - 20° 33' 55.120"	पु - 86° 41' 54.708"
29.	बालीगनडा(रतनपुर)	ਚ - 20° 29' 20.777"	पू - 86° 40' 33.139"
30.	बालीपटना	ਰ - 20° 35' 3.061"	पू - 86° 39' 3.012"
31.	बाना पाडा	ਚ - 20° 28' 55.023"	पू - 86° 44' 41.915"
32.	बनधा पारा	ਚ - 20° 28' 44.164"	पू - 86° 39' 47.351"
33.	बानीदिहापटना	ਚ - 20° 42' 53.94"	पू - 86° 39' 37.76"
34.	बनतो	ਚ - 20° 33' 22.555"	ч - 86° 38' 54.120"
35.	बरादा	ਚ - 20° 45' 6.500"	पू - 86° 43' 5.954"
36.	बरूनदिहा	ਚ - 20° 42' 13.294"	पू - 86° 40' 31.505"

37.	बातीपारा	ਚ - 20° 29' 59.644" पू - 86° 39' 24.6	642"
38.	बेता	च - 20° 39' 11.244" पू - 86° 40' 23.4	431"
39.	भारीगाडा	च - 20° 42' 14.471" पू - 86° 40' 52.0	151 158"
40.	भोपाल	च - 20° 30' 8.882" पू - 86° 43' 39.0	220
41.	भूइनपाडा	च - 20° 29' 0.485" पू - 86° 42' 18.2	225"
42.	बिला पोखरिया पाडा	च - 20° 31' 37.74" पू - 86° 40' 47.9	223
43.	बिसुनपुर	च - 20° 32' 4.745"	170"
44.	चकीबनका	च - 20° 34' 42.647" पू - 86° 39' 35.6	+/U
45.	चन्दापुर	च - 20° 32' 35.449" पू - 86° 41' 37.9	2/0
46.	चन्दन नगर	च - 20° 39' 46.937" पू - 86° 44' 33.5	104 -70"
	चन्दन नगर	च - 20° 33' 00.29" पू - 86° 39' 16.3	101
47. 48.	छादेश	च - 20° 33' 00.29" पू - 86° 39' 16.3 च - 20° 43' 18.624" पू - 86° 40' 47.2	10
	चुनबनधा	च - 20 ° 40' 54.62" पू - 86 ° 40' 38.8	292
49.	दाखिनादनदी	च - 20° 40' 54.62" पू - 86° 40' 38.8	39"
50.		च - 20° 35' 20.272" पू - 86° 40' 16.6	5/4"
51.	दालाबाद	च - 20° 33' 12.767" पू - 86° 39' 35.8	3//"
52.	दमारपुर	च - 20° 35' 30.333" पू - 86° 38' 46.0	J34"
53.	दसभगरिया	च - 20° 42' 30.529" पू - 86° 42' 4.57	75"
54.	दासीपुर	च - 20° 38' 8.595" पू - 86° 39' 44.8	390"
55.	धानेश्वरपुर	च - 20° 38' 49.794"	337"
56.	दीमिरिया	च - 20 33 8.4/3" । प - 86 41 54.7	/99"
57.	दीनियारी	ਚ - 20° 39' 52.071" ਪ੍ਰ- 86° 43' 45.0)01"
58.	डोलीगांव	ਚ - 20° 29' 24.237" ਪ੍ਰ- 86° 40' 58.4	188"
59.	एकताला	ਚ - 20 29' 39.53" ਪ੍ਰ - 86 40' 54.1	L5"
60.	फिरीकीदानदी	ਚ - 20° 35' 22.83" ਪ੍ਰ - 86° 40' 29.7	79"
61.	गमहरीया	ਚ - 20° 39' 31.188" ਪ੍ਰ - 86° 40' 24.8	391"
62.	गनजा	ਚ - 20° 43' 43.239" ਥ - 86° 41' 6.38	34"
63.	गरजंग	ਚ - 20° 29' 50.672" ਥ - 86° 42' 20.9	922"
64.	गवदिया	ਚ - 20 ° 38' 33.98" ਪ੍ਰ- 86 ° 39' 08.2	28"
65.	गोविंदपुर	ਚ - 20 ੱ 44' 18.560" पू - 86 ° 41' 35.3	337"
66.	गोगुआ	ਚ - 20° 29' 13.884" प - 86° 39' 58.1	L38"
67.	गोपीनाथपुर	ਚ - 20° 40' 0.318" प - 86° 41' 46.7	736"
68.	गोपतिरा	ਚ - 20° 33' 37.801" पू - 86° 39' 38.2	237"
69.	हरना बाबी	ਚ - 20° 33' 50.242" पू - 86° 39' 0.76	51"
70.	हरीपुर	д - 20° 31' 39 704" п - 86° 41' 40 4	180"
71.	ईच्छापुर	ਚ - 20° 39' 54.782" प - 86° 43' 17.4	109"
72.	ईसानी पल्ला	च - 20 31' 10.12/" पू - 86 41' 42.9	954"
73.	जगन्नाथपुर	ਚ - 20° 33' 28.427" ਥ - 86° 42' 30.1	170"
74.	जगुलाईपाडा	ਚ - 20° 44' 57.281" ਥ - 86° 41' 57.0	030"
75.	जामुदनदा	ਚ - 20° 40' 19.803" ਪ੍ਰ - 86° 43' 11.3	319"
76.	झारकटा	च - 20 ° 41' 58.615" प - 86 ° 41! 31.9	991"
77.	जुनापनगा	ਚ - 20° 32' 17.951" ਕਿ - 86° 42' 23 7	795"
78.	कजाला बनधा	ਚ - 20° 31' 33.983" ਪ੍ਰ - 86° 41' 22.3	376"
79.	काकतपुर	च - 20° 28' 48.861" पू - 86° 40' 1.81	14"
80.	कलादिया	च - 20° 38' 15.468" पू - 86° 40' 9.04	17"
81.	कालापहाडा	च - 20° 40' 54.783" पू - 86° 40' 26.8	336"
82.	कालातुनगा	च - 20° 28' 41.022" पू - 86° 41' 9.44	13"
02.	13	10-20 20 41.022 4-80 41 9.44	+5

83.	कताकाना	ਚ - 20° 37' 49.253"	पू - 86° 39' 44.9 32"
84.	केनानगा	ਰ - 20° 39' 19.306"	पू - 86° 41' 31.414"
85.	केरादासाही	ਰ - 20° 31' 18.477"	ų - 86° 41' 55.415"
86.	केशानगर	ਰ - 20° 42' 14.530"	पू - 86° 41' 24.704"
87.	खनता	ਚ - 20° 32' 43.470"	ų - 86° 42' 10.551"
88.	खानदोल	ਰ - 20° 39' 9.091"	ų - 86° 41' 29.915"
	कोछिला	ਰ - 20° 39' 19.836"	ų - 86° 41' 41.338"
89.	कोलिदीहा	ਰ - 20° 40' 7.336"	ų - 86° 43' 41.564"
90.	कोरियापल्ला	ਰ - 20° 31' 52.267"	पू - 86° 42' 8.234"
91.	कुधी	ਰ - 20° 36' 33.965"	ų - 86° 38' 7.219"
92.		ਚ - 20° 39' 49.848"	q - 86° 41' 52.390"
93.	कुण्डिलो	ਚ - 20° 34' 16.681"	ų - 86° 41' 23.255"
94.	कुन्दुपुर	ਚ - 20 34 16.681 ਚ - 20° 44' 57.829"	पू - 86° 48' 16.812"
95.	लक्ष्मीप्रसादिया	3 - 20 44 57.829	ų - 86° 40' 43.345"
96.	मदनपुर	ਚ - 20° 34' 56.711"	ų - 86° 42' 30.332"
97.	माहु	ਚ - 20° 39' 19.435"	ų - 86 42 30.332
98.	महुरिगन	ਚ - 20° 45' 24.675"	ų - 86° 42' 48.986"
99.	मकुन्दपुर	ਚ - 20° 43' 10.287"	ų - 86° 41' 29.428"
100.	मालाधीया	ਚ - 20° 28' 56.114"	ų - 86° 44' 10.521"
101.	मालीपुर	ਚ - 20° 34' 13.518"	ų - 86° 38' 40.282"
102.	मनेईदिहा	ਚ - 20° 42' 57.804"	पू - 86° 41' 47.592"
103.	मंगलापुर	ਚ - 20° 41' 57.531"	पू - 86° 42' 2.221"
104.	मनीकापटना	ਚ - 20° 36' 43.198"	पू - 86° 39' 11.242"
105.	मटीया	ਚ - 20° 45' 38.367"	पू - 86° 42' 26.463"
106.	मृगनयनी	ਚ - 20° 39' 2.302"	पू - 86° 40' 0.958"
107.	मुनदाताला सहारा कनी	ਚ - 20° 30' 3.311"	पू - 86° 44' 57.500"
108.	नागापाडा	ਚ - 20° 41' 26.634"	पू - 86° 40' 24.350"
109.	नालादिया	ਚ - 20° 37' 50.449"	पू - 86° 40' 15.143"
110.	नरसिंगपुर	ਚ - 20° 29' 46.175"	पू - 86° 44' 10.435"
111.	नुआगन	ਚ - 20° 32' 11.76"	पू - 86° 33' 05.12"
112.	नुआगन	ਚ - 20° 37' 25.95"	पू - 86° 45' 28.72"
113.	ओडियासाला	ਚ - 20° 29' 43.994"	पू - 86° 45' 14.437"
114.	ओसटिया	ਰ - 20° 45' 33.826"	п - 86° 43' 19 209"
115.	ओउपाडा	ਚ - 20° 32' 33.84"	ч - 86° 40' 32.13"
116.	पाला धान ईश्वरपुर	ਚ - 20° 38' 35.060"	ч - 86° 42' 27,999"
117.	पालापटना	ਚ - 20° 36' 3.249"	पू - 86° 38' 8.500"
118.	पानीखिआ	ਚ - 20° 29' 16.351"	u - 86° 41' 41.972"
119.	पाउनसिआपाल	ਰ - 20° 30' 4.488"	ч - 86° 45' 25.272"
120.	पोदामारई	ਚ - 20° 39' 55.103"	ч - 86° 40' 55.546"
121.	पुरिलो	ਚ - 20° 40' 3.699"	पू - 86° 41' 28.596"
122.	राधानगर	ਚ - 20° 39' 10.98"	ч - 86° 38' 54.66"
123.	राजपुर	ਚ - 20° 39' 24.146"	ч - 86° 44' 9.442"
124.	रामभीला	ਰ - 20° 37' 9.322"	ч - 86° 38' 56. 496"
125.	रानीपोखरी	ਚ - 20° 41' 10.163"	ч - 86° 40' 15.837"
126.	राता पनगा	ਚ - 20° 30' 5.537"	ч - 86° 44' 23.685"
127.	रेसुओ	ਚ - 20° 34' 4.131"	पू - 86° 41' 3.952"
		ਚ - 20° 37' 46.09"	ų - 86° 37' 17.13"
128.	(IOIII	0 20 37 40.03	1 6 00 0, 1,110

2646C1/15-4

129.	साहुपाडा	ਚ - 20° 38′ 34.886″	पू - 86° 40' 50.099"
130.	सनानको	ਚ - 20° 40' 31.074"	पू - 86° 42' 8.435"
131.	सनातलिया	ਚ - 20° 44' 35.531"	पू - 86° 41' 21.709"
132.	शंकाचिट	ਚ - 20° 29' 27.863"	पू - 86° 43' 1.641"
133.	शंखपुर	ਚ - 20° 33′ 32.367"	पू - 86° 41' 55.960"
134.	संखुरपा	ਚ - 20° 29' 54.808"	पू - 86° 39' 39.937"
135.	संसार फाल	ਚ - 20° 33' 43.578"	पू - 86° 40' 24.129"
136.	ससना .	ਚ - 20° 30' 40.818"	पू - 86° 44' 30.872"
137.	सतघारिया	ਚ - 20° 43' 52.219"	पू - 86° 40' 33.102"
138.	सतकुरिया	ਚ - 20° 30' 12.191"	पू - 86° 39' 38.807"
139.	सिंगापुर	ਚ - 20° 33' 27.774"	पू - 86° 41' 31.810"
140.	श्रीरामपुर	ਰ - 20° 35' 34.806"	पू - 86° 38' 8.568"
141.	सुबरनापुर	ਚ - 20° 32' 27.529"	पू - 86° 42' 3.335"
142.	सुनिति(बेना कनधा)	ਚ - 20° 28' 11.686"	पू - 86° 43' 34.378"
143.	तनालादिहा	ਰ - 20° 40' 9.499"	पू - 86° 44' 2.400"
144.	तनगानाताइला	ਚ - 20° 36' 9.090"	पू - 86° 39' 40.677"
. 145.	तनतियापाल	ਰ - 20° 30' 39.629"	पू - 86° 43' 57.060"
146.	तेरोही	ਚ - 20° 30' 55.241"	पू - 86° 40' 49.847"
147.	तेतालनगा	ਚ - 20° 31' 59.344"	पू - 86° 39' 0.740"

उपाबंध-III

मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
- 3. आचिलक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)।
- 5. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
- 6. ईआईए अधिसूचना, 2006 (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार)।
- 8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2015

S.O.1601(E).- Whereas, a draft notification under sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 2730 (E), dated the 21st October, 2014, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette containing the said notification were made available to the public on 21st October, 2014;

And whereas, suggestions and objections received from all persons and stakeholders in respect of the proposed draft notification have been considered by the Central Government;

And whereas, the Mangrove Forest Division (Wildlife), Rajnagar has three protected areas namely Bhitarkanika Wildlife Sanctuary notified in the year 1975 under section 29 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, Bhitarkanika National Park notified in 1998 under sub-section (4) of section 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 and Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary notified in 1997 under clause (b) of sub-section (1) of section 26 of the Wildlife (Protection) Act, 1972.

And whereas, the boundary of Bhitarkanika National Park is within the Bhitarkanika Wildlife Sanctuary and the Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary is contiguous with the eastern boundary of Bhitarkanika Wildlife Sanctuary and these protected areas form a contiguous land and water body which is identified as the eco sensitive zone;

And whereas, the protected areas are rich an biodiversity and high productive eco system having estuarine and marine ecosystem with 61 species of Invertebrates like Protozoa-2 species, Coelenterates-3 species, Mollusca-7 species, Annelids-34 species, Arthopods-15 species, and Vertebrates like Fish-20 species, Amphibians-5 species and Reptile-42 species, Birds more than 280 species, Mammals 28 species including Cetaceans;

And whereas, the bio diversity of mangroves in the national park area is one of the highest having 71 species of mangroves with their associate which has been identified taxonomically;

And whereas, the Bhitarkanika area has the largest natural population of estuarine crocodile and is known for its reptilian diversity. The area has the largest heronry in Asia, which is an annual activity during monsoon. Winter migrants visit the National Park every year, in more than fifty thousand in number.

And whereas, the Bhitarkanika is the second Ramsar site in the state of Odisha which is a wetland of international repute and the Gahirmatha Marine Wild Life Sanctuary is globally known for mass nesting of Olive Ridley Sea Turtles. Many of the endangered species of flora and fauna enlisted in the Wild Life Protection Act 1972 and enlisted in the Red Data Book of International Union for Conservation of Nature (IUCN) are available in these protected areas.

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area to the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of the Bhitarkanika Wildlife Sanctuary and Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area upto two kilometres from the boundary of the protected areas of the Bhitarkanika Wildlife Sanctuary, Bhitarkanika National Park and Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary in the State of Odisha as the Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:-

- 1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-sensitive Zone varies from 560 meters to two kilometres width from the boundary of the protected areas of Bhitarkanika Wildlife Sanctuary, Bhitarkanika National Park and Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary situated in the Kendrapara district of Odisha covering geographical area of 446.40 square kilometre of the Eco-sensitive Zone.
- (2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 20° 43' 15.5"N latitude and 87° 18' 32.9"Elongitude towards East; 20° 29' 13.8" N latitude and 86° 39' 58.1" E longitude towards west south; 20° 48' 21.6"N latitude and 86° 56' 37.1"E longitude towards north and 20° 16' 35.6"N latitude and 86° 56' 23.7"E longitude towards south.

- (3) The map of Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes is appended as Annexure I.
- (4) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their longitudes and latitudes at prominent point are appended as **Annexure II**.
- 2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone. (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.
- (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest;
 - (iii) Urban Development;
 - (iv) Tourism;
 - (v) Municipal;
 - (vi) Revenue;
 - (vii) Agriculture;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Public Works Department; and
 - (x) Odisha State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

- (5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing places of worship, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.
- 3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) Land use.- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 20, 27, 29 and 34 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Small scale industries not causing pollution;
- (ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;
- (iii) Rainwater harvesting; and
- (iv) Cottage industries including village artisans, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance to the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to afforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) Natural springs.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner so as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) Tourism.-(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Odisha in consultation with the Departments of Revenue and Forests, Government of Odisha.
- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Porest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (ii) Construction of new hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the protected areas of Bhitarkanika Wildlife Sanctuary, the Bhitarkanika National Park and the Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary except accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities as per law:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per the Tourism Master Plan;

- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) Natural heritage. All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) Noise pollution.- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (7) Air pollution.- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) Discharge of effluents.- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.
- (9) Solid wastes. Disposal of solid wastes shall be as under. -
- (a) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

264601/15-5

- (b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (c) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (d) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at sites identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.-**The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998, as amended from time to time.
- (11) **Vehicular traffic.** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:

TABLE Remarks SI. Activity No. (3) (2) (1) A. Prohibited Activities: (a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone Commercial Mining, 1. stone quarrying and crushing units are prohibited except for the quarrying and crushing units. domestic needs of bona fide local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N.Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012. No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the 2. Setting up of saw mills. 3. Setting up of industries causing No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. water or air or soil or noise pollution. Commercial use of firewood. Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. 4. 5. Establishment of new major Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. hydroelectric projects. Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. 6. Use of plastic carry bags. Use or production of any hazardous Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. substances. 8. Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. Undertaking activities related to tourism like over-flying sanctuary area by hot-air balloons, etc. Discharge of untreated effluents Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. and solid waste in natural water bodies or land area.

		B. Regulated activities:
10.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.
		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre from the boundary of the protected areas except accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. Beyond one kilometre and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines of the National Tiger Conservation Authority.
12.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land.
	5 8 8	(b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted shall require prior written permission from the concerned regulatory authority.
		(c) No sale of surface water or ground water shall be permitted.
		(d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
13.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
14.	Fencing of existing premises of hotels, lodges and resorts.	Regulated under applicable laws.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable
16.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
17.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
18.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
20.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.

21.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone:
		Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive zone using 100% imported wood stock.
22.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
23.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the protected area:
		Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in subparagraph (1) of paragraph 3:
		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.
		(b) Beyond one kilometre upto the extent of Eco sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
		(c) Construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
24.	Eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc.	Regulated under applicable laws.
25.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
26.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid waste, the existing regulations shall be followed.
27.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities	Regulated under applicable laws.
		C. Permitted activities:
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Use of renewable energy sources	Permitted under applicable laws.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	

33.	Vegetativ	e fencing		Permitted under applicable laws.	6
34.	Cottage	industries	including	Shall be actively promoted.	
	village art	tisans, etc.,		- Challes Mills At .	

- 5. **Monitoring Committee.-** (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-
 - (a) The District Collector, Kendrapara, Government of Odisha Chairman;
 - (b) Representative of Collector Bhadrak- Member;
 - (c) One representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment, to be nominated by the Government of Odisha Member;
 - (d) Superintendent of Police, Kendrapara Member;
 - (e) Representative of Superintendent of Police, Bhadrak Member;
 - (f) Representative of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change –Member;
 - (g) Expert in the field of Environment Wildlife and Ecology, to be nominated by the Government of Odisha Member;
 - (h) Representative of Member Secretary, Odisha State Pollution Control Board-Member;
 - (i) Divisional Forests Officer, Bhadrak Wildlife Division Member; and
 - (j) Divisional Forests Officers-cum-Wildlife Warden, Mangrove Forest Division (Wildlife) Rajnagar–Member Secretary.

Terms of reference:

- (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State as per pro-forma appended at Annexure III.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to the provisions of this notification.
 - 7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.


[F.No. 25/4/2014-ESZ/RE] Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

264601/15-6

22

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude of Bhitarkanika National Park & Sanctuary and Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary, Odisha.



Annexure II

List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Bhitarkanika Wildlife Sanctuary, Bhitarkanika National Park and Gahirmatha (Marine) Wildlife Sanctuary, Odisha.

1. Bhadrak District:

SI. No	Name of the village	Latitude	Longitude
1.	Ambiligan	N- 20° 46' 7.095"	E- 86° 46' 26.644"
2.	Badaharipur	N- 20° 47' 40.15"	E- 86° 45' 58.15"
3.	Badaostia	N- 20° 48' 34.57"	E- 86° 44' 20.81"
4.	Baghanata	N- 20° 46' 11.825"	E- 86° 48' 56.636"
5.	Baligan	N- 20° 47' 29.92"	E- 86° 44' 02.70"
6.	Bareipur	N- 20° 47' 25.30"	E- 86° 44' 43.50"
7.	Bentalpur	N- 20° 45' 14.785"	E- 86° 46' 46.075"
8.	Bidyutprava	N- 20° 48' 18.417"	E- 86° 55. 49.076"
9.	Binataro	N- 20° 46' 24.76"	E- 86° 43' 26.45"
).	Chandabali	N- 20° 45' 50.888"	E- 86° 43' 16.758"
	Charadia	N- 20° 47' 47.500"	E- 86° 50.45.409"
2.	Coconat Island	N- 20° 50' 14.76"	E- 86° 57' 35.67"
3.	Dakshinadhamara	N- 20° 47' 49.911"	E- 86° 53. 45.680"
١.	Dhrubapahalipur	N- 20° 46' 32.347"	E- 86° 49' 37.742"
	Durgapur	N- 20° 45' 26.265"	E- 86° 48' 10.728"
j	Goladia	N- 20° 46' 18.85"	E- 86° 42' 54.81"
7.	Harishpur	N- 20° 48' 26.239"	E- 86° 51.51.918"
3.	Jagula	N- 20° 48' 37.701"	E- 86° 53. 54.118"
	Jayadurgapatana	N- 20° 47' 48.825"	E- 86° 55. 22.472"
	Jharakata	N- 20° 48' 28.566"	E- 86° 53. 2.095"
	Jyosnamayee	N- 20° 47' 47.705"	E- 86° 56. 6.029"
	Kanakpalli	N- 20° 48' 18.314"	E- 86° 52. 43.953"
	Kandagaradi	N- 20° 47' 19.26"	E- 86° 49. 05.75"
	Kandha	N- 20° 44' 46.273"	E- 86° 45' 54.109"
	Kasturikana	N- 20° 45' 25.172"	E- 86° 48' 50.645"
	Kaudiapal	N- 20° 44' 46.385"	E- 86° 47' 19.981"
	Khamarsahi	N- 20° 55′ 24.80″	E- 86° 52. 06.42"
	Kulhi	N- 20° 46' 02.20"	E- 86° 42' 32.18"
	Narasinghpur	N- 20° 48' 20.630"	E- 86° 53' 45.659"
	Nayahat	N- 20° 47' 57.60"	E- 86° 44' 52.53"
	Neduali	N- 20° 46' 58.29"	E- 86° 49' 14.76"
	Orasahi	N- 20° 46' 58.29"	E- 86° 49' 14.76"
	Pahadpur	N- 20° 46' 22.777"	E- 86° 43' 37.264"
	Paikarapur	N- 20° 47' 32.40"	E- 86° 46' 27.53"
•	Paikasahi	N- 20° 48' 5.855"	E- 86° 54. 12.288"
•	Panchupada	N- 20° 47' 47.36"	E- 86° 45' 28.73"
	Patuli	N- 20° 46' 46.694"	E- 86° 43' 52.948"
	Pokharisahi	N- 20° 45' 36.336"	E- 86° 45' 56.450"
	Rajarajeswarpalli	N- 20° 48' 2.347"	E- 86° 51. 51.940"
	Rajendrapali	N- 20° 47' 32.735"	E- 86° 51.14.461"
	Sompur	N- 20° 47' 29.02"	E- 86° 45' 49.08"
•	Sanaharipur	N- 20° 46' 25.259"	E- 86° 45' 57.585"
	Simulia	N- 20° 37' 49.253"	E- 86° 39' 44.932"
	Chandabali	N- 20° 46' 16.97"	E- 86° 44' 15.00"
	Dhamara	N- 20° 47' 43.14"	E- 86° 53' 47.97"

2. Kendrapada District:

SI.	Name of the village	Latitude	Longitude
No			
1.	Achhutapur	N- 20° 43' 12.529"	E- 86° 41' 11.285"
2.	Achinta	N- 20° 44' 35.648"	E- 86° 41' 47.397"

2646 91/15-7

3.	Adhadeunria	N- 20° 33' 31.024"	E- 86° 40' 3.620"
4.	Adhajori	N- 20° 34' 23.243"	E- 86° 39' 4.310"
5.	Alakana	N- 20° 40' 34.324"	E- 86° 40' 37.760"
6.	Andharua	N- 20° 33' 37.739"	E- 86° 39' 6.830"
7.	Arehikana	N- 20° 37' 41.021"	E- 86° 39' 17.376"
8.	Asoka Dia	N- 20° 45' 0.085"	E- 86° 47' 59.876"
9.	Atala	N- 20° 39' 5.620"	E- 86° 40' 58.496"
10.	Babara	N- 20° 29' 35.653"	E- 86° 39' 27.004"
11.	Badagara	N- 20° 44' 12.064"	E- 86° 42' 53.418"
12.	Badajoramuhan	N- 20° 41' 59.705"	E- 86° 41' 5.389"
13.	Badambila	N- 20° 38' 49.620"	E- 86° 40' 19.851"
14.	Badanko	N- 20° 40' 36.654"	E- 86° 41' 6.769"
15.			
16.	Badapal	N- 20° 30' 22.325"	E- 86° 41' 20.409" E- 86° 42' 26.064"
	Badataila	N- 20° 44' 53.918"	
17.	Badheipada	N- 20° 30′ 11.986″	E- 86° 40' 39.069"
18.	Badpalli	N- 20° 30' 51.891"	E- 86° 41' 24.876"
19.	Baghabuda	N- 20° 44' 34.548"	E- 86° 42' 9.169"
20.	Baghataila	N- 20° 32' 28.003"	E- 86° 41' 26.627"
21.	Balabhadrapur	N- 20° 35' 55.212"	E- 86° 39' 50.621"
22.	Balakati	N- 20° 41' 28.957"	E- 86° 40' 49.735"
23.	Balarampur	N- 20° 44' 9.406"	E- 86° 40' 26.710"
24.	Bali jhari ,	N- 20° 34' 11.25"	E- 86° 41' 35.55"
25.	Balia	N- 20° 33' 19.569"	E- 86° 39' 23.782"
26.	Baliapalli	N- 20° 30' 13.035"	E- 86° 39' 51.972"
27.	Baliada	N- 20° 38' 30.209"	E- 86° 39' 43.633"
28.	Baliajori	N- 20° 33' 55.120"	E- 86° 41' 54.708"
29.	Baliganda(Ratanpur)	N- 20° 29' 20.777"	E- 86° 40' 33.139"
30.	Balipatana	N- 20° 35' 3.061"	E- 86° 39' 3.012"
31.	Banapada	N- 20° 28' 55.023"	E- 86° 44' 41.915"
32.	Bandhapara	N- 20° 28' 44.164"	E- 86° 39' 47.351"
33.	Banidihapatna	N- 20° 42′ 53.94″	E- 86° 39' 37.76"
34.	Banto	N- 20° 33' 22.555"	E- 86° 38' 54.120"
35.	Barada	N- 20° 45' 6.500"	E- 86° 43' 5.954"
36.	Barundiha	N- 20° 42' 13.294"	E- 86° 40' 31.505"
37.	Batipara	N- 20° 29' 59.644"	E- 86° 39' 24.642"
38.	Beta	N- 20° 39' 11.244"	E- 86° 40' 23.431"
39.	Bharigada	N- 20° 42' 14.471"	E- 86° 40' 52.058"
40.		N- 20° 30' 8.882"	
	Bhopal	The state of the s	E- 86° 43' 39.000"
11.	Bhuinpada	N- 20° 29' 0.485"	E- 86° 42' 18.225"
12.	Bilapokhariapada.	N- 20° 31' 37.74"	E- 86° 40' 47.98"
13.	Bisunpur	N- 20° 32' 4.745"	E- 86° 41' 46.470"
14.	Chakibanka	N- 20° 34' 42.647"	E- 86° 39' 35.678"
15.	Chandapur	N- 20° 32' 35.449"	E- 86° 41' 37.954"
16.	Chandannagar	N- 20° 39' 46.937"	E- 86° 44' 33.579"
17.	Chandan Nagar	N- 20° 33' 00.29"	E- 86° 39' 16.18"
48.	Chhadesh	N- 20° 43' 18.624"	E- 86° 40' 47.292"
19.	Chunabandha	N- 20° 40' 54.62"	E- 86° 40' 38.89"
50.	Dakhinadandi	N- 20° 35' 20.272"	E- 86° 40' 16.674"
51.	Dalabad	N- 20° 33' 12.767"	E- 86° 39' 35.877"
52.	Damarpur	N- 20° 35' 30.333"	E- 86° 38' 46.034"
53.	Dasabhagaria	N- 20° 42' 30.529"	E- 86° 42' 4.575"
54.	Dasipur	N- 20° 38' 8.595"	E- 86° 39' 44.890"
55.	Dhaneswarpur	N- 20° 38' 49.794"	E- 86° 41' 55.337"
6.	Dimiria	N- 20° 33' 8.473"	E- 86° 41' 54.799"
57.	Diniari	N- 20° 39' 52.071"	E- 86° 43' 45.001"
58.	Doligaon	N- 20° 29' 24.237"	E- 86° 40' 58.488"
59.	Ektala	N- 20° 29' 39.53"	E- 86° 40' 54.15"
50.	Firikidandi	N- 20° 35' 22.83"	E- 86° 40' 29.79"
61.	Gamharia	N- 20° 39' 31.188"	E- 86° 40' 24.891"
	Jamuaia	111-20 37 31.100	L- 00 TO 47.071

63.	Garjang	N- 20° 29' 50.672"	F 96° 42120 0221
64.	Gavadia	N- 20° 38' 33.98"	E- 86° 42' 20.922"
65.	Gobindapur	N- 20° 44' 18.560"	E- 86° 39' 08.28"
66.	Gogua	N- 20° 29' 13.884"	E- 86° 41' 35.337"
67.	Gopinathpur	N- 20° 40' 0.318"	E- 86° 39' 58.138"
68.	Goptira	N- 20° 33' 37.801"	E- 86° 41' 46.736"
69.	Haranababi	N- 20° 33' 50.242"	E- 86° 39' 38.237"
70.	Haripur	N- 20° 31' 39.704"	E- 86° 39' 0.761"
71.	Ichhapur	N- 20° 39' 54.782"	E- 86° 41' 40.480"
72.	Isanipalla	N- 20° 31' 10.127"	E- 86° 43' 17.409"
73.	Jagannathapur	N- 20° 33' 28.427"	E- 86° 41' 42.954"
74.	Jagulaipada		E- 86° 42' 30.170"
75.	Jamudanda	N- 20° 44' 57.281"	E- 86° 41' 57.030"
76.	Jharkata	N- 20° 40' 19.803"	E- 86° 43' 11.319"
77.		N- 20° 41' 58.615"	E- 86° 41' 31.991"
78.	Junapanga	N- 20° 32' 17.951"	E- 86° 42' 23.795"
79.	Kajalabandha	N- 20° 31' 33.983"	E- 86° 41' 22.376"
80.	Kakatpur	N- 20° 28' 48.861"	E- 86° 40' 1.814"
81.	Kaladia	N- 20° 38' 15.468"	E- 86° 40' 9.047"
81. 82.	Kalapahada	N- 20° 40' 54.783"	E- 86° 40' 26.836"
	Kalatunga	N- 20° 28' 41.022"	E- 86° 41' 9.443"
83.	Katakana	N- 20° 37' 49.253"	E- 86° 39' 44.932"
84.	Kenanga	N- 20° 39' 19.306"	E- 86° 41' 31.414"
85.	Keradasahi	N- 20° 31' 18.477"	E- 86° 41' 55.415"
86.	Keshanagar	N- 20° 42' 14.530"	E- 86° 41' 24.704"
87.	Khanata	N- 20° 32' 43.470"	E- 86° 42' 10.551"
38.	Khandol	N- 20° 39' 9.091"	E- 86° 41' 29.915"
39.	Kochila	N- 20° 39' 19.836"	E- 86° 41' 41.338"
0.	Kolidiha	N- 20° 40' 7.336"	E- 86° 43' 41.564"
1.	Koriapalla	N- 20° 31' 52.267"	E- 86° 42' 8.234"
92.	Kudhi	N- 20° 36' 33.965"	E- 86° 38' 7.219"
93.	Kundilo	N- 20° 39' 49.848"	E- 86° 41' 52.390"
94.	Kundupur	N- 20° 34' 16.681"	E- 86° 41' 23.255"
95.	Laxmiprasaddia	N- 20° 44' 57.829"	E- 86° 48' 16.812"
96.	Madanpur	N- 20° 34' 56.711"	E- 86° 40' 43.345"
7.	Mahu	N- 20° 39' 19.435"	E- 86° 42' 30.332"
8.	Mahurigan	N- 20° 45' 24.675"	E- 86° 42' 48.986"
9.	Makundapur	N- 20° 43' 10.287"	E- 86° 41' 29.428"
00.	Maladhia	N- 20° 28' 56.114"	E- 86° 44' 10.521"
01.	Malipur	N- 20° 34' 13.518"	E- 86° 38' 40.282"
02.	Maneidiha	N- 20° 42' 57.804"	E- 86° 41' 47.592"
03.	Mangalapur	N- 20° 41' 57.531"	E- 86° 42' 2.221"
04.	Manikapatna	N- 20° 36' 43.198"	E- 86° 39' 11.242"
05.	Matia	N- 20° 45' 38.367"	E- 86° 42' 26.463"
06.	MrugaNayani	N- 20° 39' 2.302"	E- 86° 40' 0.958"
07.	Mundatalasaharakani	N- 20° 30' 3.311"	E- 86° 44' 57.500"
08.	Nagapada	N- 20° 41' 26.634"	E- 86° 40' 24.350"
09.	Naladia	N- 20° 37' 50.449"	E- 86° 40' 15.143"
10.	Narasinghapur	N- 20° 29' 46.175"	E- 86° 44' 10.435"
11.	Nuagan	N- 20° 32' 11.76"	E- 86° 33' 05.12"
12.	Nuagan	N- 20° 37' 25.95"	
13.	Odiasala	N- 20° 29' 43.994"	E- 86° 45' 28.72"
14.	Ostia		E- 86° 45' 14.437"
15.	Oupada	N- 20° 45' 33.826"	E- 86° 43' 19.209"
6.	Pala DhanEswarapur	N- 20° 32' 33.84"	E- 86° 40' 32.13"
17.		N- 20° 38' 35.060"	E- 86° 42' 27.999"
	Palapatana	N- 20° 36' 3.249"	E- 86° 38' 8.500"
8.	Panikhia	N- 20° 29' 16.351"	E- 86° 41' 41.972"
19.	Paunsiapal	N- 20° 30' 4.488"	E- 86° 45' 25.272"
20.	Podamarai	N- 20° 39' 55.103"	E- 86° 40' 55.546"
21.	Purilo	N- 20° 40' 3.699"	E- 86° 41' 28.596"
22.	Radhanagar	N- 20° 39' 10.98"	E- 86° 38' 54.66"

123.	Rajpur	N- 20° 39' 24.146"	E- 86° 44' 9.442"
124.	Rambhila	N- 20° 37' 9.322"	E- 86° 38' 56.496"
125.	Ranipokhari	N- 20° 41' 10.163"	E- 86° 40' 15.837"
126.	Rata panga	N- 20° 30' 5.537"	E- 86° 44' 23.685"
127.	Resua	N- 20° 34' 4.131"	E- 86° 41' 3.952"
128.	Routa	N- 20° 37' 46.09"	E- 86° 37' 17.13"
129.	Sahupada	N- 20° 38' 34.886"	E- 86° 40' 50.099"
130.	Sananko	N- 20° 40' 31.074"	E- 86° 42' 8.435"
131.	Sanataila	N- 20° 44' 35.531"	E- 86° 41' 21.709"
132.	Sankachit	N- 20° 29' 27.863"	E- 86° 43' 1.641"
133.	Sankhpur	N- 20° 33' 32.367"	E- 86° 41' 55.960"
134.	Sankrurpa	N- 20° 29' 54.808"	E- 86° 39' 39.937"
135.	Sansarphal	N- 20° 33' 43.578"	E- 86° 40' 24.129"
136.	Sasana	N- 20° 30' 40.818"	E- 86° 44' 30.872"
137.	Satagharia	N- 20° 43' 52.219"	E- 86° 40' 33.102"
138.	Satakuria	N- 20° 30' 12.191"	E- 86° 39' 38.807"
139.	Singarpur	N- 20° 33' 27.774"	E- 86° 41' 31.810"
140.	Srirampur	N- 20° 35' 34.806"	E- 86° 38' 8.568"
141.	Subarnapur	N- 20° 32' 27.529"	E- 86° 42' 3.335"
142.	Suniti(BenaKandha)	N- 20° 28' 11.686"	E- 86° 43' 34.378"
143.	Tanaladiha	N- 20° 40' 9.499"	E- 86° 44' 2.400"
144.	Tanganataila	N- 20° 36' 9.090"	E- 86° 39' 40.677"
145.	Tantiapal	N- 20° 30' 39.629"	E- 86° 43' 57.060"
146.	Terohi	N- 20° 30' 55.241"	E- 86° 40' 49.847"
147.	Tetalanga	N- 20° 31' 59.344"	E- 86° 39' 0.740"

Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of Meetings.
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
 - Details may be attached as Annexure.
- Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 - Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
- 8. Any other matter of importance.